requested to be here during the discussion and we were waiting for all that. This whole adjournment business since morning has been because of that.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You are right अभी यह तय हुआ था, इसीलिए हम बार-बार एडजोर्नमेंट कर रहे हैं कि कुछ सोल्युशन निकले। वहां लोक सभा में डिसकशन पूरा होने को है, इसके बाद होम मिनिस्टर साहब यहां आ जाएंगे। वे वहां से फ्री हो जाएंगे। दिल्ली का बिल भी अर्जेन्ट है। अब हम यह बिल ले सकते है। अगर हाउस की सलाह है तो ...(व्यवधान)...

श्री प्यारे लाल खंडेलवाल (मध्य प्रदेश): एडजोर्न कर दीजिए ...(व्यवधान)...

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: तब तक के लिए एडजोर्न कर दीजिए । ...(व्यवधान)...

श्रीमती सुषमा स्वराज: दिल्ली बिल भी आज ही पास होना है। उसको हर हालत में पास कर रहे हैं। इसके लिए चाहे हमें 12 बजे तक बैठना पड़े, हम दिल्ली बिल को पास करके ही उठेंगे। या तो यह हो सकता है कि जैसे ही होम मिनिस्टर साहब आते हैं, हम डोडा की चर्चा शुरू करके बाद में पूरी कर लेंगे या जैसा आप कहते हैं।

SHRI V. NARAYANSAMY: On the one side they want the Home Minister here and on the other side they do not want a discussion. This is the attitude when the Minister is here? I would like to know...

श्री उपसभापति: मिस्टर नारायणसामी जी, हाऊस चलाने के लिए कुछ डिसकशन होते हैं, चैम्बर में डिसकशन होते हैं। Then we will have to abide by that, otherwise, it will be very difficult.

श्रीमती सुषमा स्वराज: सर, पहले हम दिल्ली पर डिसकशन कर लेते हैं।

GOVERNMENT BILLS

The Delhi Laws (Special Provision) Bill, 2006

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI S. JAIPAL REDDY): Sir, I beg to move:

That the Bill to make special provisions for the areas of Delhi for a period of one year and for matters connected therewith or incidental thereto, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration.

Mr. Deputy chairman, Sir, as the hon. Members are aware, the large immigration of people from all over the country over the years into the National Capital Territory of Delhi has resulted in a huge growth in demand for residential and commercial space as envisaged in the master plan,

1962 notified under the Delhi Development Plan 1857. The Government adopted planned development of Delhi through large-scale acquisition of land and development and disposal of such land through the Delhi Development Authority for meeting the needs of the people for residential, commercial and other spaces; However, the problems and operationalisation of the plan, poor enforcement and inadequacy and unaffordability of shelter, particularly for the poor have led to growth of slums, unauthorized construction, large-scale commercialization of residential areas, especially along the major roads. The Government of India has taken note of these deficiencies and has now places emphasis on the need for alternative policy options to secure proper development of Delhi.

With this objective, the draft Master Plan for Delhi has been prepared with the perspective of 2021. About 7,000 suggestions and objections received from the public are under examination. Finalisation of the Master Plan is likely to take sometime. In the meantime, the Government have constituted a Committee, headed by Shri Tejender Khanna, former Lieutenant Governor of Delhi, to suggest a comprehensive strategy to deal with issues relating to unauthorized construction and misuse of premises. Its recommendations will be taken into consideration in finalizing the Plan.

As regards the problems of those living in slums and Jhuggi Jhonpris, the Government proposed to deal with the matter with requisite compassion, and the need for proper shelter and basic services for the urban poor. But, given the dwindling availability of land for relocation of slum dwellers, it has become imperative to revisit the current policy and look for more sustainable solution for their rehabilitation.

There are also a large number of street vendors indifferent parts of Delhi. While the local bodies are formulating schemes in pursuance to the National Policy on street vendors; it has to be ensured that schemes are realistic and take into consideration not only the concerns of vendors and squatters but also citizens' access to public places. This is also required sometime for finalisation.

In the meantime, a number of representations were received by the Government against demolition and ceiling of premises by the local bodies. Several hon. Members of this August House as well as the elected representatives of the Delhi have been demanding for intervention to sort out the complex issue that has led to the present situation. While, a large number of persons are affected by the on-going drives, at the same time, there is a wide divergence of public opinion and views to deal with this

issue. These have been taken into account while finalizing comprehensive and balance policy on each of these complex issues. This process would involve ground level survey, collection of requisite data, its analysis and consultations with the resident societies by the local bodies. Professional expert organization may also to be involved to formulate a sustainable strategy. This is a time-consuming exercise. So, Mr. Deputy Chairman, Sir, it will be noted that for the finalization of the norms, policy guidelines and feasible strategies in respect of problems mentioned by me earlier, a period of about one year will be required. While this exercise is taken up by the Government and its agencies, it is necessary and desirable to maintain a *status quo* in respect of these categories of unauthorized developments existing as on 1st January, 2006, so as to prevent unnecessary and avoidable hardship and harassment of the people. The Government, therefore, considered it necessary and desirable to enact the Delhi Laws (Special Provisions) Bill, 2006, for this purpose.

Sir, in the facts and circumstances of the matter as mentioned by me and in order to meet the aforesaid objects, I move for consideration of the Delhi Laws (Special Provisions) Bill, 2006, as passed by Lok Sabha. Thank you.

The question was proposed.

श्रीमती सुषमा स्वराज (मध्य प्रदेश): उपसभापति जी, उर्दू की एक बड़ी प्रचलित गज़ल है -

"आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक",

उसका एक बहुत ही खूबसूरत शेर है, आपको तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा -

"यह तो माना कि तग़फुल न करोगे लेकिन,

खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक।"

यह बिल हूबहू गज़ल के उस शेर को चरितार्थ करता है। यह ठीक है कि केन्द्र सरकार तग़फुल किए बिना यह बिल ले आई, लेकिन यह भी सच्चाई है कि इस बिल को लाने से पहले दिल्ली के हजारों लोग खाक और बरबाद हो गए हैं। पिछले 6 महीनों से दिल्ली में कोहराम मचा हुआ है। मकान तोड़े जा रहे हैं, दुकानें सील की जा रही हैं, रेहड़ी और पटरी वालों को हटाया जा रहा है। झुग्गी वालों को उजाड़ा जा रहा है। लगता है कि जैसे जोर-जुल्म का राज आ गया है और सरकार नाम की कोई चीज दिल्ली में है ही नहीं। लोग दर-दर भटक रहें हैं, एक-एक दरवाजा खटखटा रहे हैं। यह संयोग है कि इस समय लोक सभा और राज्य सभा के 10 सांसदों में से 9 सांसद कांग्रेस के हैं। एक-एक दरवाजे पर जाकर वे गुहार कर रहे हैं, प्रधानमंत्री तक दरकार कर रहे हैं लेकिन नतीजा

वही ढाक के तीन पात। आश्वासन पर आश्वासन, वायदे पर वायदे,घोषणाओं पर घोषणाएं, हम करेंगे, हम करेंगे, लेकिन किया नहीं। मुझे इससे भी ज्यादा एतराज है उस भाषा पर, जो कांग्रेस के सांसद प्रेस कांफ्रेंस में खड़े होकर बोलते हैं - अध्यादेश लाना चाहिए। चाहिए की भाषा विपक्ष की होती है, मंत्री की नहीं। यह वे सांसद कह रहे हैं, जो स्वयं कैबिनट में बैठते हैं, जिनकी स्वयं की भूमिका है, बिल को लाने की, वहां बैठ का पारित करने की। आपको याद होगा कि अभी जब मैं यह मुद्दा उठा रही थी , तो आदरणीय जय प्रकाश अग्रवाल जी ने कहा कि हमने भी यह मुद्दा उठाया है। तभी मैंने कहा था कि जय प्रकाश जी आपकी भूमिका मुद्दा उठाने की नहीं है, मुद्दा हल करने की है। मुद्दा उठाने की भूमिका हमारी है। तभी तो आप सत्ता पक्ष में हैं और हम विपक्ष में हैं। विपक्ष मुद्दा उठाता है, सत्ता पक्ष हल करता है। आप हल करिए। आप मुद्दा किसके सामने उठा रहे हैं? इसलिए मैं उन सांसदों से भी कहती थी कि चाहिए की भाषा मत बोलिए। हम कहें कि यह करना चाहिए और आप कहें कि हम यह कर रहे हैं - यह भूमिका दिल्ली की जनता ने हमें और आपको बख्शी है।

उपसभापति जी, आप तो जानते हैं कि अध्यादेश लाने में जो बाधाएँ होती हैं, वे तमाम बाधाएँ भी दूर थीं। इस बार हाउस *sine-die* adjourn हुआ था। एक यही बाधा आ सकती थी कि हाउस recess में है, House for all practical purposes सेशन में है। लेकिन अगर *sine-die* adjourn हो जाए, तो इसे एक कलम की नोंक से prorogue किया जा सकता हैं । Prorogue करने के बाद ordinance लाया जा सकता हैं लेकिन हाउस prorogue नहीं किया गया, ordinance नहीं आया। सारा जोर-जुल्म, सारी तोड़-फोड़ आँख बन्द किए सरकार देखती रही । इससे भी ज्यादा मुझे दुख इस बात का है कि 10 तारीख को तो हाउस बुला लिया गया था, summons 21 दिन पहले आ जाते हैं। 10 तारीख को पहले दिन क्योंकि obituary करके हाउस को उठ जाना था, हम 11 तारीख को पहले working day पर यह बिल ला कर आपकी दिक्कतों को खत्म करना चाहते हैं, यह संदेश तो सरकार दे सकती थी। वह भी नहीं दिया। कैबिनेट से ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का बिल तो उससे पहले पारित हो गया, लेकिन यह बिल नहीं निकला। 11 तारीख को जब हमने यहाँ सदन बन्द किया और यह कहा कि 'चर्चा नहीं, बिल चाहिए', यह कहा कि 'नहीं पॉलिटिकल विल, तो कैसे आए बिल'। तब सरकार जागी। हमने कहा कि आप बिल लाइए। अगर 10 तारीख से सेशन बुला लिया गया था, 11 तारीख को पहला working day था, तो सारा काम, जिसे spade work कहते हैं, home work कहते हैं, वह तो सरकार कर सकती थी। एक बिल तैयार करके circulate तो कर सकती थी। सप्लीमेंटरी एजेंडा में बिल लोक सभा में आ रहा है, सप्लीमेंटरी एजेंडा में बिल राज्य सभा में आ रहा है। क्यों? ऐसा तो तब होता कि यदि रात के रात कोई समस्या आई होती और सुबह-सुबह उसका समाधान करना होता। समस्या 6 महीने से आपके सामने मुँह बाए खड़ी है। लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, सड़कों पर अपनी वेदना का प्रदर्शन कर रहे हैं, demonstrations हो रही हैं, लेकिन आपके यहाँ बिल भी तैयार नहीं हो रहा और आप बिल एक दिन पहले लाते हैं और सप्लीमेंटरी एजेंडा में लोक सभा में लाकर कहते हैं कि पारित कर दें और अब लाते हैं, अब कहते हैं कि पारित कर दें। हम तो निश्चित पारित

करेंगे। आज जब संसदीय कार्य मंत्री ने कहा तो मैंने कहा कि अगर रात के 12 बजे तक भी बैठना पड़े, तो हम बैठेंगे, मगर हम दिल्ली का बिल पारित करके उठेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि एक-एक दिन क्या, एक-एक मिनट मुश्किल हो रही है, वहाँ साँस लेनी मुश्किल हो रही है। लोगों के दिन की भूख और रात की नींद उड़ गई है। लोग सुबह अपनी दुकानों पर जाते हैं, तो पता नहीं कब कोई एमसीडी वाला सीलिंग स्क्वाड लेकर आएगा और दुकान पर सील लगा कर चला जाएगा। रात को आप सोए हैं, पता नहीं कल सुबह एमसीडी का डिमॉलिशन स्क्वाड आएगा और उनके आशियाने को उजाड़ कर चला जाएगा और वे घर के बच्चों को लेकर इस झुलसती हुई गर्मी में घर के बाहर आकर बैठ जाएंगे। यह स्थिति हो रही है।

उपसभापति महोदय, मुझे एक बात और कहनी है। यह बिल लोक सभा से दो दिन पहले पारित हो गया था। यह ठीक है कि rule न हो, लेकिन propriety नाम की कोई चीज होती है। एक बार एमसीडी के लोगों को यह तो पता चल गया था कि parliamentary intent क्या है। Parliamentary intent केवल बिल से जाहिर नहीं हुई थी, लोक सभा में बिल पारित हो गया था। यह संयोग कि शनिवार, इतवार आ गया, तो इसलिए राज्य सभा में सोमवार से पहले नहीं आ सकता था, लेकिन मुझे दुख से कहना पड़ता है कि इन दो दिनों में भी तोड़-फोड़ हुई है, इन दो दिनों में भी सीलिंग हुई है। पटेल नगर में डिमोलीशंस हुई है। शंका होटल, स्विस इंटरनेशनल होटल तोड़े गए हैं। रोहणी में दुकानें सील की गयी हैं। हमारे अपने एम॰ एल॰ ए॰ जय भगवान अग्रवाल की दुकान सील हुई है। तो मैं कहना चाहती हूं कि जब पार्लियामेंटरी इंटेंट पता लग गयी, लोक सभा से बिल पारित हो गया, राज्य सभा से भी बिल पारित होकर उस के ऊपर राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षर हो जाएंगे, तो भी अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, इस सब के बावजूद तोड़ रहे हैं? मुझे जयपाल रेड्डी जी ने आकर कहा कि आज तो इसे जरूर पारित कर दें वरना डिमोलीशन जारी हैं। यह आप कैसे कहते हैं, डिमोलीशन क्यों जारी हैं? आप की इतनी भी नहीं चलती? आप एक बार बिल बनाकर ले आए, वह बिल एक हाऊस से पास करवा चुके, उसे दूसरे हाउस में लेकर आए हैं और उस बीच के दो दिन भी डिमोलीशन हो रहा है। ये अधिकारी क्या सैडिस्टिक प्लैजर ले रहे हैं? सरकार ऐसे समय में कान में तेल डालकर क्यों बैठी है? क्यों नहीं कहती कि हम बिल ला चुके हैं, कम-से-कम ये दिन तो बंद कर दो। ये छुट्टी के दिन हैं, लेकिन फिर भी शनिवार व रविवार को सीलिंग हुई हैं।

महोदय, अब मैं इस बिल के बारे में कहना चाहती हूं। उपसभापति जी, मेरे वरिष्ठ सहयोगी अरुण जेटली जी यहां बैठे हैं, वह इसकी कांस्टीट्यूशनल वैलेडिटी पर बोलेंगे, लेकिन मैं केवल एक-दो बातें कहना चाहती हूं। आपने इस बिल में ज्यादातर शब्द ''नॉट विद्स्टेंडिंग'' इस्तेमाल किया था जोकि सही शब्द है। जब हम कोई ऐसा बिल लाते हैं तो उस में नॉट विदस्टेंडिंग कहते हैं। लेकिन इस बिल की धारा-3 की उपधारा-2 में आप ने कहा है कि "Subject to the provisions contained in sub-section (*1*) and without prejudice to any judgement, decree or order of any court..." इसमें मेरा संशोधन है कि इसे आप कहें 'Notwithstanding any judgement, decree or order of any court...' क्योंकि अगर 'नॉटविद्स्टेंडिंग' आता है और 'विदाउट प्रिजूडिस' ... (*Interruptions*) Should I yield?

SHRI S. JAIPAL REDDY: Sir, this corrigendum was carried out by the Lok Sabha. The corrected version does say 'notwithstanding'. I do not know where the confusion is arising. It may be verified...(*Interruptions*)

श्रीमती सुषमा स्वराज: देखिए, यह जो मेरे पास है, यह 'एज पास्ड बाय द लोक सभा' है और मैंने इसीलिए दोनों बिल देख लिए थे। पर मुझे खुशी है, अगर यह बात मंत्री जी ने मान ली है तो अच्छी बात है क्योंकि जो बात मैं कहना चाहती हूं...

SHRI ARUN JAITLEY (Gujarat): Can we have a copy of that, even if one copy is available?

श्रीमती सुषमा स्वराज: मैं यह कहना चाहती थी ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: आप के पास कौनसा है, 'नॉटविदस्टेंडिंग है न?

श्रीमती सुषमा स्वराज: 'विदाउट प्रिजूडिस' है।

श्री उपसभापति: यह 'नॉटविदस्टेंडिंग' है।

श्रीमती सुषमा स्वराज: अगर मंत्री जी ने उसे मान लिया तो मेरा समाधान हो गया। यह बहुत अच्छी बात है कि आप बीच में खड़े हो गए और आप ने यह बात मान ली क्योंकि सही शब्द है नॉटविदस्टेंडिंग, विदाउट प्रिजूडिस के।

उपसभापति जी, मैं महाराष्ट्र के उल्हासनगर से संबंधित एक ऑर्डिनेंस मंत्री जी को दिखाने के लिए लेकर आई थी। उल्हासनगर में इस तरह की तोड़फोड़ हो रही थी जिसे रोकने के लिए महाराष्ट्र शासन ने एक ऑर्डिनेंस निकाला था। यह Ordinance number one of 2006 था। इस के अंदर जो शब्दावली है, वह बहुत ही अच्छी है और उसमें उन्होंने इस के लिए किसी भी जजमेंट का बेस ही खत्म कर दिया है। मैं यह ऑर्डिनेंस मंत्री जी को दिखाने के लिए लाई थी, लेकिन अगर मेरे कहने से पहले ही मंत्री जी ने इस सुझाव को स्वीकार कर लिया तो अच्छा है। उन के पास यह बात जरूर पहुंची होगी और अगर उन्होंने इसे स्वीकार कर सुधार कर लिया है, तो मैं उन्हें धन्यवाद देती हूं क्योंकि मैं चाहती थी कि यह शब्दावली बदल दी जाए।

अब मुझे मंत्री जी आप से एक-दो क्लैरीफिकेशंस चाहिएं। वैसे आप ने इस में कहा है *Status quo* as on 1st January, 2006, लेकिन फिर भी लोग पूछ रहे हैं और जब तक आप के मुंह से सदन में आप का जवाब नहीं आएगा तब तक लोगों का समाधान नहीं होगा। लोग यह पूछ रहे हैं कि जो दुकानें सील हो चुकी हैं, उन की सील खुलेगी न? जो जगहें डिमोलिश हो गयी हैं और जिन लोगों ने अपने एफीडेविट दे दिए हैं, ऐसे 40 हजार लोग जो अपना एफीडेविट दे चुके हैं और क्योंकि यह बिल कहीं भी यह बात नहीं कह पा रहा है कि, वे सारे-के-सारे एफीडेविट ऐसे समझे जाएंगे जैसे नहीं दिए गए हैं वरना उन को लगता है कि जहां देर में आने वाले थे वे बच जाएंगे। हम जो

एफीडेविट डर के मारे दे बैठे, हमारा क्या होगा? हमारी दुकानें जो सील हो गयीं, उन का क्या होगा? इसलिए मैं जरूर चाहूंगी कि मंत्री जी अपने उत्तर में यहां कह दें ताकि कल को अगर कोर्ट-कचहरी में भी मामला हो तो यह कह दिया जाए कि लैजिस्लेटिव इंटेंट यह था और मंत्री जी आप के माध्यम से सदन के फर्श पर यह बात कही गयी है। चूंकि इन बातों का खुलासा और समाधान लोक सभा में नहीं हुआ, इसलिए यह और भी ज्यादा जरूरी है कि मंत्री जी के उत्तर में राज्य सभा में इन का समाधान हो जाए। अगर इनका समाधान मंत्री जी के उत्तर में राज्य सभा में होता है, तो जैसा मैंने पहल कहा था कि वे यह बिल देर से लाए, लेकिन जैसे मैंने उर्दू की गजल का एक शेर पढ़ा, उसी तरह उर्दू की कहावत भी है कि देर आय, दुरुस्त आय। तो कम-से-कम उसी तर्ज पर मैं इस बिल का समर्थन करती हूँ और मंत्री जी के प्रति धन्यवाद करती हूँ।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली): सर, मैं इस बिल को लाने के लिए मंत्री जी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ और उनको मुबारकबाद देता हूँ। दिल्ली की जनता की भावनाओं को समझते हुए कि जिस तरह से लोग परेशान हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और छः महीने में जिस तरह की तोड़-फोड़ हुई है, कांग्रेस का एक-एक आदमी, चाहे वह छोटा-सा नेता हो, उसने सड़कों पर आकर, जनता के बीच में बैठकर और उनके एजिटेशन में शमिल होकर, हिस्सा लेकर यह मांग रखी कि यह बिल लाया जाए और हमारी बात सुनी जाए। मैं इसलिए आपको मुबारकवाद देता हूं।

मैं आशा करता हूं कि जिस तरह से कोर्ट ने दिल्ली में तोड़फोड़ के लिए बुलडोजर चालू किया और अपने ऑर्डर से दिल्ली की सिविक बॉडी को यह कहा कि आप लोगों के घरों को तोड़ें, आपने उस बुलडोजर का मुंह रायबरेली की तरफ कांग्रेस का झंडा गाड़कर मोड़ दिया, जिसने वहां जाकर जो साम्प्रदायिक ताकतें थीं और जो लोग देश का नाश करने पर तुले हुए थे, उनके बुलडोजर चलाकर नीचे जमीन में प्लेन कर दिया। आज वे हाशिए पर हैं और उनके निशान उन सड़कों पर बने हुए हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती सुषमा स्वराज: आप दिल्ली पर बोल रहे हैं या रायबरेली पर? ...(**व्यवधान**)...

श्री जय प्रकाश अग्रवाल: मुझे खुशी है कि जब मैं आपसे मिला और अजय माकन जी से मिला तो आपके माथे पर पसीना था, आप परेशान थे, आप झुंझलाए हुए थे और आपको यह लग रहा था कि इसका हल किसी-न-किसी तरह हमें जल्दी-से-जल्दी निकालना चाहिए, ताकि हम दिल्ली वालों को राहत दे सकें और ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: अग्रवाल जी, मैं आपको अभी तो परमिट कर देता हूं, मगर आप जब भी बात करेंगे तो अपनी सीट से बात करेंगे। ...(**व्यवधान**)...

श्री जय प्रकाश अग्रवाल: सर, मैं वहां चला जाता हूं। ...(**व्यवधान**)... वहां ज्यादा ज़ोर से आवाज़ निकालनी पड़ती हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: नहीं, अभी तो मैंने आपको परमिट कर दिया है ...(**व्यवधान**)... आगे से आप अपनी सीट से ही बात करेंगे। ...(व्यवधान)...

श्री जय प्रकाश अग्रवाल: सर, यह दिल्ली एक दिन में नहीं बसी। यह दिल्ली पिछले 100 सालों में धीरे-धीरे बसी। यहां की आबादी पहले 15 लाख थी, जो आज तकरीबन डेढ़ करोड़ है। जगह-जगह से लोग दिल्ली में आए और यहां बसे। उन्होंने यहां अपने आशियाने बनाए और अपने लिए रोज़गार ढूंढा। उन्होंने अपने बच्चों के पालन-पोषण के लिए कहीं दुकान की, कहीं बैठे, कहीं-न-कहीं रोज़गार ढूंढा या नौकरी की। इस तरह इन लोगों के आने से दिल्ली बढ़ी। दिल्ली पहले एक चारदीवारी के अन्दर छोटी-सी हुआ करती थी, लेकिन दिल्ली का आज का यह बढ़ता हुआ स्वरूप हमें इन लोगों के आने से देखने को मिला। जो भी लोग यहां आए, अपने रहने के लिए कहीं-न-कहीं घर ढूंढा, एक छत ढूंढी और वे अलग-अलग कैटेगरीज़ में बंटते चले गए। जैसे पहले पुरानी दिल्ली थी, उसके बाद दिल्ली फिर और बढ़ी। इसके बाद कुछ डेवलप्ड कॉलोनीज़ आईं, तब प्राइवेट बिल्डर्स ने कॉलोनियां काटीं। उसके बाद अनऑथॅराइज्ड कॉलोनियां बढ़ती चली गईं और फिर लाल डोरे में भी लोग बढ़े। डी॰डी॰ए॰ ने भी कुछ फ्लैट्स बनाकर दिए। इस तरह यह दिल्ली बढ़ती रही।

इस प्रकार आज दिल्ली जिस स्वरूप में हैं, यह एक अजीब स्वरूप है। इसका अपना कोई कल्चर नहीं है। चारों तरफ से जो लोग आए, उन्होंने इस दिल्ली को बसाया है। हमारी कोशिश यह होनी चाहिए कि जो चीज़ एक दिन में नहीं बनी, तो अगर कोई उसे एक दिन में खराब करने की कोशिश करे, तो हमें उसके खिलाफ़ डटकर आवाज़ उठानी चाहिए। मैं आशा करता हूं कि आज जो बिल आप लाए हैं और जो डर सुषमा जी ने रखा, वह मेरा भी है, जिसके बारे में मैं आपसे थोड़ी देर में बात करूंगा। लेकिन यह क्या है? दिल्ली का एक डिस्ट्रिब्यूशन कैरेक्टर है। दिल्ली सिर्फ यहां के रहने वालों की ही नहीं है। दिल्ली सिर्फ उन लोगों की ही नहीं है, जो नौकरी-पेशा हैं और यहां रहने आए हैं, बल्कि दिल्ली में व्यापारी भी हैं। दिल्ली एक होल सेल मंडी भी कहलाती है। ऐसी बहुत-सारी चीजें, हैं, जो सिर्फ दिल्ली से नॉर्थ इंडिया के बहुत-सारे बाजारों में जाती हैं। इस तरह से अगर हम दिल्ली में सिर्फ उन लोगों को समझते हैं कि यहां के रहने वालों को राहत देकर उन दुकानदारों को छोड़ देंगे, तो यह सही नहीं है। लेकिन जो कुछ हुआ है, यहां रहने वालों को तकलीफ हुई है, उनके मकान टूटे हैं, उनके फ्लैट टूटे हैं, उनको बेघर किया गया है। जिनके मकान टूटे, वे सड़कों पर अपने बच्चों को लेकर रहे। जिनकी दुकानें सील हुईं, उनकी क्या हालत हुई? एक व्यक्ति जो दुकान करता है, सिर्फ दुकान से उसका मतलब नहीं है, बल्कि वह कहीं से माल लाता है, किसी को माल बेचता है, कहीं से उधार लेता है, कहीं से लोन लेता है और तब जाकर वह उस दुकान को बसाता है, चलाता है। एक दिन के अंदर उस दुकान का नाम नहीं होता। जिस तरह से उनको तंग किया गया, उनकी दुकानें सील की गईं, उनको परेशान किया गया, सबने देखा है। अच्छा हुआ, आज जो यह बिल आ गया, इससे यहां के लोगों को राहत मिलेगी और जो उनकी तकलीफ हुई है, उससे उनका समाधान निकल सकेगा।

महोदय, जो पहले कट-ऑफ डेट रखी गई थी, जैसा दो बार दिल्ली में हुआ। हमने अपने टाइम में यह कहा था, जब दिल्ली में हमारी कांग्रेस की सरकार थी, यह कहा था कि हम इनको रेगुलराइज करते हैं। दो बार ऐसा हुआ, लेकिन कोर्ट के ऑर्डर के बाद उन लोगों को भी नहीं छोड़ा गया। उनकी दुकानों को भी तोड़ा गया, उनके मकानों को भी तोड़ा गया और आज एक तलवार उनके सिर पर लटकी हुई है। जब भी दिल्ली में कांग्रेस की सरकार आई, वैसे तो शुरू से तकरीबन कांग्रेस की सरकार रही, एकाध बार कांग्रेस के अलावा दूसरी पार्टी की सरकार आई, हमने हमेशा जनता के हक में फैसले लिए। हमारी कोशिश हमेशा यह रही कि उन लोगों को, जो दिल्ली में रहते हैं, उनको राहत दी जाए। जो लोग झुग्गी में रहते थे, उनको सबसे पहले इंदिरा जी के समय में खड़ंजे, बिजली, पानी और सिविक अमेनिटीज दी गईं। यह कहा गया कि जो लोग रोजगार करना चाहते हैं, वे अपने घरों में कारोबार चला सकते हैं। उनको बिजली और पानी दिया गया, लाइसेंस दिया गया। ये जो घरों में छोटी-छोटी इंडस्ट्रीज लगी हैं, वे सिर्फ इसलिए लगी हैं ताकि लोगों को काम के लिए कहीं दूर न जाना पड़े, उनको परेशान न होना पड़े और वे वहां रहकर अपना रोजगार कर सकें, रोटी कमा सकें, अपने बच्चों को रोटी दे सकें।

महोदय, मेरे पास डाक्युमेंट्स हैं, जिसमें कांग्रेस ने अपने समय में यह प्रपोजल रखा था कि जो अनअथोराइज्ड कालोनीज हैं, उनको पास किया जाए। उस समय हमारी शीला दीक्षित की सरकार थी, उसने यह प्रपोजल रखा था। उससे पहले बीजेपी की सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया था, उनकी अपनी मजबूरी थीं, क्योंकि वह टुकड़ों में बटी हुई थी। अगर हर दो साल में किसी स्टेट का मुख्य मंत्री बदला जाएगा, तो जनता का भला उनके समय में नहीं हो सकता। किसी पार्टी के अंदर आपस के झगड़े हो सकते हैं, लेकिन अगर एक मुख्य मंत्री रहेगा, एक आवाज होगी, काम करना चाहेंगे और काम करने की नीयत होगी, तो सही काम हो सकता है। एक बार दो साल के लिए एक आदमी मुख्य मंत्री बनकर आ गया, दो साल के लिए फिर एक आ गया और वह किसी से नहीं संभला, तो आदरणीय सुषमा जी को दिल्ली सौंप दी गई। इनके पास इतना समय नहीं था, इसलिए दिल्ली वालों का दर्द कैसे समझ सकतीं? मैं इनकी मजबूरी समझ सकता हूं। वैसे जो एक महिला का हृदय होता है, वह अच्छा होता है, मार्मिक होता है, मलहम लगाने वाला होता है, लेकिन इनकी मजबूरी थी, क्योंकि कुछ ऐसे लोगों में घिरी हुई थीं, जो नहीं चाहते थे कि आप सक्सेसफुल हों। इसीलिए उसके बाद हमारी सरकार आ गई, जिसकी हमें खुशी है। मैं जो बात कहना चाहता था, वह यह कि मेरे पास डाक्युमेंट्स हैं, जिसमें हमारी जो शीला दीक्षित की सरकार थी, उसने रेजोलूशन पास करके सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया था और कहा था कि इन अनअथोराइज्ड कालोनीज को पास किया जाए। यह रेजोलूशन असेम्बली से पास करके भेजा गया था, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने मंजूर नहीं किया। इस बात का मुझे दुख है।

महोदय, मैं आदर करता हूं आदरणीय सुषमा जी का, लेकिन मुझे खुशी होती कि जिस दिन मैंने इस हाऊस में खड़े होकर आवाज उठाई थी, यह कहा था कि दिल्ली वालों के साथ गुनाह हो रहा है, उनके मकान तोड़े जा रहे हैं और मैं लड़ा था, तब यहां आदरणीय अध्यक्ष महोदय बैठे थे, उस समय खड़े होकर आप यह कहती कि जय प्रकाश सही कह रहा है, इस बात की चर्चा आज ही होनी चाहिए, तो मुझे बहुत खुशी होती।

श्रीमती सुषमा स्वराज: चर्चा नहीं चाहिएं थी, बिल चाहिए था। ...(**व्यवधान**)...

श्री जय प्रकाश अग्रवाल: बहस तो आप करवा सकती थीं?

श्रीमती सुषमा स्वराज: काहे की बहस? बिल चाहिए था।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल: आप शोर तो मचा सकती थीं?

श्रीमती सुषमा स्वराज: शोर तो मचा ही रहे थे। ...(**व्यवधान**)...

श्री जय प्रकाश अग्रवाल: अभी भी तो आपने शोर मचाया था। अगर उस दिन मेरी बात मानतीं, तो यह बिल उसी दिन आता। तब तो आप नहीं बोलीं।...(**व्यवधान**)...

श्रीमती सुषमा स्वराज: मैं तो जेल गई। जैसा आप बोल रहे हैं, मैं तो जेल गई, तिहाड़ जेल में रही। ...(**व्यवधान**)...

श्री जय प्रकाश अग्रवाल: जेल में तो हमारे दिल्ली कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी गए और हमारे सभी एम०एल०एज०, मैम्बर्स ऑफ पार्लियामेंट हर जगह लोगों के बीच रहे। हमें दिल्ली मत दिखाओ आप, यह हमारी दिल्ली है। हमने बहुत काम किया है दिल्ली में। हमने ही काम किया है दिल्ली में आज तक, आपने कोई काम नहीं किया और वह ही मैं दिखाना चाहता हूं, अगर आप काम करते तो आज यह हाल नहीं होता दिल्ली का। दिल्ली असैम्बली का जो रेज़ोल्यूशन आया, उसे उस समय की बीजेपी सरकार ने पास नहीं किया? इसलिए आज यह तकलीफ आ रही है।

[उपसभाध्यक्ष (प्रो० पी० जे० कुरियन) पीठासीन हुए,]

सर, कोर्ट में जो कुछ हुआ, वह क्यों हुआ? बड़ा अजीब लगता है – दुकानें सील हुईं, लोगों से ऐफिडेविट लिए गए, एक नया सिलसिला शुरू हुआ। दो-तीन अलग-अलग कमेटियां बना दी गईं, – भूरे लाल कमेटी, ऊषा मेहरा कमेटी, चार और आदमी ऐप्वाइंट कर दिए गए और दिल्ली को अलग-अलग हिस्सों में बांट कर कोर्ट के द्वारा उनको ठेकेदारी या थानेदारी दे दी गई और यह कहा गया कि दिल्ली में अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन या इस समस्या का हल क्या होगा, इसे ये लोग देखेंगे। सर, मैं नहीं समझ सकता कि जब दिल्ली में दिल्ली सरकार है, दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, डी०डी०ए० है, एन०डी०एम०सी० है, और कोर्ट को कोई काम करना था, कोई फार्मूला तय करना था, तो उसको इन एजेंसीज़ के थ्रू काम करना चाहिए था। सर, मुझे इजाजत दें मैं कोर्ट के आर्डर की सिर्फ दो लाइनें पढ़ना चाहता हूं:—

"It has been proposed that the MCD will provide space for setting up office of the Committee at India Habitat Centre, Lodhi Road, New Delhi. The staff for secretarial and clerical services to the Chairman and other members of the Committee shall also be provided by the MCD as per the requirements of the Committee. The honorarium payable to the Chairman of the Committee has been proposed at Rs. 5,000/-per sitting and for the unofficial members of the Committee at Rs. 3,500/- per sitting, the expenses

for which are to be borne by the DDA. With regard to conveyance, it has been proposed that the Chairman and unofficial members will be entitled for reimbursement of actual amount of to and fro transportation and other charges."

सर, आज जो एजेंसीज़ हैं, जहां अफसर हैं, जिनके पास पूरा इंतजाम है, उनको न कहकर कोर्ट द्वारा और कमेटी बनाना तथा यह तय करना कि इनको इतने पैसे दिए जाएं, इसकी क्या जरूरत थी? इससे क्या दिखाना चाहते थे कि सिविक बॉडी कोई मायने नहीं रखती, सिर्फ कोर्ट जिन लोगों को बनाएगी, वही मायने रखते हैं? भूरे लाल कमेटी, उषा मेहरा कमेटी या तीसरी कमेटी, यह सब इलेक्टिड रिप्रेजेन्टेटिव्स से या उन बाडीज से ऊपर हो गए, सुपीरियर हो गए? इस फैसले की वजह से इनको डिक्टेटर बना दिया गया। ये जहां जा रहे हैं, कह रहे हैं – इसको सील कर दो, इसको बंद कर दो, इन दुकानों को बंद कर दो, इनके फर्स्ट फ्लोर के आफिस सील कर दो। एक डर पैदा कर दिया है कोर्ट ने। सर, मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर आप कोर्ट के फैसले देखें, तो हर हफ्ते बाद एक नया फैसला आपको मिलेगा – 'फार्म हाउसिज़ सील कर दो', उसके दस दिन बाद 'बैंक्विट हाल सील कर दो', तीसरे दिन बाद 'फर्स्ट फ्लोर के जितने आफिस हैं उनको सील कर दो', फिर '80 फुट रोड पर जो दुकानें हैं, उनको सील कर दो'। यह क्या तमाशा है, क्या मजाक बना दिया? दिल्ली क्या आज पैदा हुई है, एक दिन में बनी है? लोग अपनी दुकान या मकान बनाने में सालों लगाते हैं, अपना घर बेचते हैं, अपना सामान बेचते हैं, जेवर बेचते हैं, तब मकान बनता है या दुकान बनती है। कितनी मुश्किल से रोटी-रोजी कमाकर ...(व्यवधान)...

SHRI YASHWANT SINHA: Sir, I have only a very simple request to make. We should not discuss the conduct of the Judges here in this House and comment on their ...*(Interruptions)*...

SHRI JAI PARKASH AGGARWAL: Am I doing that, Sir? No; I am not doing that. ...*(Interruptions)*...

SHRI YASHWANT SINHA: That is not done. This is never been done. ...*(Interruptions)*...

SHRI JAI PARKASH AGGARWAL: I can discuss the judgement. ...*(Interruptions)*...

SHRI YASHWANT SINHA: The conduct of Judges and comments on the judgements are not discussed in the House. ...*(Interruptions)*...

SHRI JAI PARKASH AGGARWAL: Why? Why not? ...*(Interruptions)*...

SHRI YASHWANT SINHA: That is exactly what the hon. Member is doing. ...*(Interruptions)*... Sir, I asked for your ruling. ...*(Interruptions)*...

SHRI JAI PARKASH AGGARWAL: It has been done so many times. Sir, it has been done so many times in the House. ...*(Interruptions)*...

SHRI YASHWANT SINHA: But it has not been done in the language in which you are doing. ...*(Interruptions)*...

श्री जय प्रकाश अग्रवाल: क्या बात कर रहे हैं आप? मैं नहीं मानता आपकी बात।

SHRI YASHWANT SINHA: I am not talking to you. I am talking to the Chair and it is for the Chair to decide.

SHRI JANARDHANA POOJARY (Karnataka): Sir, I am on a point of order ...*(Interruptions)*... We agree with the hon. Member. But what is happening in the courts? What are they doing? Are they performing their duties? ...*(Interruptions)*... We also need to see whether they are crossing their limits. Now, Sir, the hon. Member has stated the plight...*(Interruptions)*...

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY (Andhra Pradesh): Sir, we are not discussing the conduct of judges here.

SHRI JANARDHANA POOJARY: Sir, the hon. Member has talked about the plight of the people. The point he has made is very clear — whether the court has taken cognisance of these facts. That is what he has said. He has talked about the sufferings of the people.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIAN): Mr. Janardhana Poojary, when you discuss the judgement of the court or when you say anything about decrees of the court, you should be a little more careful. Your language should be proper.

श्री जय प्रकाश अग्रवाल: मैं मान गया, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि लोग दुखी हैं, लोग रो रहे हैं, परेशान हैं, बच्चों को लेकर सड़क पर पड़े हैं, भूख से मर रहे हैं, उनकी दुकानें सील हो गई हैं, वे बैंकरप्ट हो गए ...(व्यवधान)

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P. J. KURIAN): Of course, you can explain the miseries of the people, but don't criticise the court.

श्री जय प्रकाश अग्रवाल: सर, मेरा मतलब वही है, मेरा मतलब भी वही है।

सर, मैं एक बात यहां पर रखना चाहता हूं और मेरे ख़याल से यह बात कई बार उठेगी, आगे भी यह कई बार हो सकता है। सर, इस बात की क्या गारंटी है कि यह सारा काम फिर नहीं होगा? आज इस पर नहीं होगा तो कभी दोबारा किसी और इश्यू पर होगा। इसलिए कोई न कोई कोऑर्डिनेशन ऐसा होना चाहिए, मान लीजिए कि कहीं किसी एक व्यक्ति को थानेदारी दे दी जाए और वह डिक्टेटर नादिरशाह की तरह कोई ऐसा कदम उठाने लगे, जो जनता के हक में न हो। तब क्या पार्लियामेंट बैठी देखती रहेगी, सोचती रहेगी? फिर कब आएगा वह बिल? आज जो बिल लोक सभा में पेश हुआ, उसके बाद अखबारों में कई जगह चर्चा हुई कि क्या इसे माना जाएगा? क्या पार्लियामेंट के द्वारा पास करने के बावजूद भी लोग उसे मानेंगे या नहीं मानेंगे? सर, इसलिए यह जो

डर और भय है, यह नहीं होना चाहिए। सर, इसका एक हल यह भी था कि अगर हमारी मांग मान ली जाती और दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाता, तो शायद ये हालात पैदा नहीं होते। हम बैठ कर चीज़ों को अपने ही हाउस में तय कर सकते थे, लैंड यूज़ चेंज कर सकते थे, बता सकते थे, तब शायद हम यहां तक नहीं पहुंचते।

सर, मेरे कुछ प्वाइंट्स हैं और मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी, जो बहुत अच्छे दिल वाले हैं? काम करने वाले हैं, गरीब जनता को समझते हैं, बहुत दिन तक जनता के बीच में रहे हैं, वह उन चीज़ों को अपने भाषण में या जिस तरह भी वह चाहें, उन्हें जरूर देखें। सर, आप मास्टर प्लान एमेंड करें। मास्टर प्लान को आपने जनता के बीच रखा और उसमें जो लैंड यूज़ है, जैसे चांदनी चौक है, अब चांदनी चौक आज ही तो नहीं बसा, जब से दिल्ली बसी, तभी से चांदनी चौंक बसा है।

SHRI V. NARAYANASAMY: Why are you talking only about Chandni Chowk? Talk about the whole of Delhi.

श्री जय प्रकाश अग्रवाल: चूंकि वह दो रेलवे स्टेशन्स के बीच में है ...(व्यवधान)... Please, just give me few minutes. सर, वह एक कॉमर्शियल एरिया बना और धीरे-धीरे वहां नॉर्थ इंडिया के कॉमर्शियल मार्किट या होलसेल मार्किट बढ़ते चले गए और आज वह हमारा एक बहुत बड़ा व्यापारिक केन्द्र है। इसी तरह सदर बाज़ार है, वह हमारा एक बहुत बड़ा व्यापारिक केन्द्र है। इसी तरह से करोल बाग है, साउथ एक्सटैंशन है। हिन्दुस्तान में कोई भी कहीं से भी आता है तो वह कहता है कि मुझे करोल बाग सामान खरीदने के लिए जाना है या चांदनी चौक सामान खरीदने के लिए जाना है या सदर बाज़ार जाना है, क्योंकि ये सब होलसेल मार्किट्स हैं। आज हम उनके स्वरूप को कैसे बदल दें? इसलिए मैं यह चाहता हूं कि आप मास्टर प्लान के अन्दर जो एक्ज़ेसटिंग पॉलिसी है ... अगर आप यह कह देंगे कि पहली मंजिल पर काम नहीं होगा, तब मेरे ख़याल से आपको सारा चांदनी चौंक खाली करवाना पड़ेगा। आपको सदर बाज़ार, करोल बाग और साउथ एक्सटैंशन खाली करवाने पड़ेंगे। यह नहीं हो सकता। आज पूरी की पूरी कई बिल्डिंग्स ऐसी हैं, जो कॉमर्शियल हैं, आज यह कह कर हम उन मार्किट्स को ख़राब कर दें, जो व्यापार की खूबसूरती है, उसे ख़राब कर दें हमारे व्यापारियों की जो दुकानें सालों से चल रही हैं, उनको ख़राब कर दें। मैं इस हक में नहीं हूं और मैं आशा करता हूं कि स्पेशियली मैंने जो इन तीन चार मार्किट्स के नाम लिए हैं, इनके बारे में आप ज़रूर सोचेंगे और उनको राहत देंगे।

इसी तरह से जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ हैं, आपने उन्हें नियमित करने के बारे में कहा है और मैं आशा करता हूं कि जिस तरह से मकानों में लोगों ने अपने छज्जों को कमरों में तब्दील कर दिया है या इधर-उधर छोटे-मोटे कमरे बना लिए हैं या जैसे-जैसे परिवार बढ़ते गए, उन्होंने ऊपर कमरे बना लिए, उनको नियमित करने के लिए जो तजिंदर खन्ना कमेटी है, मुझे नहीं मालूम कि वह अपनी रिपोर्ट कब देंगे या रिपोर्ट में क्या आने वाला है, लेकिन मैं आशा करता हूं कि उन्होंने इसका ध्यान रखा होगा। दिल्ली में अगर आप नियमित दिल्ली डी०डी०ए० के सिर पर रख देते जो डी०डी०ए० को करना चाहिए था वह तो डी०डी०ए० ने नहीं किया, जिस तरह दिल्ली की प्लानिंग होनी चाहिए थी वह

काम डी०डी०ए० ने नहीं किया। मैं सबसे ज्यादा डी०डी०ए० की मुखालफत इसलिए करता हूं कि डी०डी०ए० ने अपने काम में कोताही बरती है, डी०डी०ए० ने कभी भी कोशिश नहीं की कि जो प्लान डवलपमेंट दिल्ली का होना चाहिए उसकी तरफ उनका नजरिया गया हो। केवल वे जमीन बेचते रहे, पैसा इकट्ठा करते रहे, फ्लैट बनाते रहे। आज 25-25 साल हो गए और लोगों को फ्लैट नहीं मिले, यह डी०डी०ए० का काम है मैं आशा करता हूं कि आप इसमें कुछ कोई न कोई ऐसा काम करेंगे कि इसकी भी कार्यवाही पर आपकी निगाह जाए। अब जो आपने झुग्गी-झौंपड़ी के बारे में कहा है, इन्दिरा जी ने सबसे पहले झुग्गी-झौंपड़ी में काम शुरू किया था। आज उनको आप संरक्षण देंगे, उनके लिए आपने कहा कि फ्लैट बनाकर देंगे। मुझे आशा है कि आप उनको फ्लैट बनाकर देंगे ताकि वे वहीं बसाए जा सकें और उनको परेशानी न हो।

सर, जो लाल डोरा की बात है, अब वह लाल डोरा की डेफिनिशन होनी चाहिए। यह कहना कि लाल डोरा में कोई कुछ भी बना ले, कुतुब मीनार बना ले, तो भी वह माना जाएगा ; लाल डोरा की एक परिभाषा आज आपको तय करनी होगी कि लाल डोरा किसे कहते हैं। लाल डोरा में बिल्डिंग बॉयलॉज अगर लागू नहीं होते, तो भी क्या कर सकते हैं आप। पहले यह था कि वह गांव का रूप होगा और एक्सटेंडेड लाल डोरा करते रहे, अरबनाइज्ड विलेजेज आ गए। यह इसलिए था कि उनको हम प्रोटेक्ट करेंगे कि उनका जो कल्चर है उसके अंदर बाहर का इंटरफिएरेंस न हो और वे वहां आराम से रह सकें। मैं आशा करता हूं कि यह भी आपको देखना होगा।

अब एक बहुत बड़ी समस्या दिल्ली में गेस्ट हाउसेज की है। दिल्ली में बाहर से बहुत लोग आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, व्यापारी आते हैं और हर आदमी आकर बड़े-बड़े होटलों में नहीं ठहर सकता क्योंकि वहां दस हजार रुपए का एक कमरा, बीस रुपए का एक टेलीफोन, दो सौ रुपए की एक कॉफी, यह हरएक के बस का काम नहीं है। वे गेस्ट हाउसेज जो दिल्ली में 50 साल में बने हैं और छोटे कमरे हैं, किसी में 15 कमरे हैं, किसी में 20 कमरे हैं, किसी में 25 कमरे हैं। आज उन्होंने आर्डर कर दिया कि इनको सील कर दो, बंद कर दो। तो मैं यह चाहता हूं कि ये गेस्ट हाउसेज दिल्ली की जरूरत हैं, क्योंकि जो पहले धर्मशालाएं हुआ करती थीं, वे अब नहीं हैं। ज्यादातर उस हालात में नहीं हैं, उसमें पैसा नहीं लगता था। तो कहां जाएंगे लोग? जो लोग बाहर से आएंगे तो वे स्टेशन पर तो नहीं ठहरेंगे, वे गेस्ट हाउसेज में ठहरते हैं जहां सौ रुपए, पांच सौ रुपए तक का कमरा मिल जाता है और वहां लोग रह सकते हैं। आज उनकी बहुत सख्त जरूरत है। मैं आशा करता हूं कि आप इस ओर ध्यान देंगे और उनको नियमित करेंगे या उनके लिए कोई पॉलिसी फ्रेम करेंगे।

इसी तरह इण्डस्ट्रियल एरिया, जैसे आजाद मार्केट है, लाजपत राय मार्केट है। अभी वहां लाजपतराय मार्केट चले गए। 1962 से पहले उनको जमीन दी गई और यह कहा गया कि यह कॉमर्शियल जमीन है, आप नीचे काम करेंगे और आप ऊपर कारखाना खोल सकते हैं। इसी तरह लाजपतराय मार्केट यह आज का बसा हुआ नही है, जब खान मार्केट बना था तब लाजपत राय मार्केट बना था और वहां जाकर उन्होंने तोड़फोड़ की और उनको तंग करने की कोशिश की।

मैं आशा करता हूं कि ये जो पुराने बने हुए मार्केट हैं इनको नहीं छेड़ा जाए और उनको रेग्युलराइज किया जाए। वहां जो शायद नॉर्थ इंडिया का या हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनिक मार्केट है भागीरथ प्लेस और लाजपतराय मार्केट, वह घड़ियों का सबसे बड़ा मार्केट है और होलसेल मार्केट है। इतना बड़ा मार्केट कहीं नहीं है नोर्थ इंडिया में।

दूसरे, पटरी वालों के लिए जो आपने कहा, ये हमेशा परेशान होते हैं, कभी कोई सरकारी पौलिसी आ जाती है, कभी पुलिस वाले डंडा चलाते हैं। आपने उनको नियमित किया, आपने उनको लाल परची दी है जगह-जगह, कांग्रेस की सरकार ने दी है। अगर उनको नियमित करना है तो उनको दुकानें बनाकर दें। यह आपका वायदा था, कांग्रेस का वायदा था कि हम पटरी वालों को बेदुकान नहीं रहने देंगे, हम इनको तंग नहीं होने देंगे और हमारी पॉलिसी रही है कि हम इनको दुकानें बनाकर देंगे। जिस तरह आपने झुग्गी वालों के लिए कहा कि उनको एक लाख मकान बनाकर देंगे, उसी तरह इन पटरी वालों के लिए भी आपको पौलिसी बनानी चाहिए ताकि उनको दुकानें मिल सकें।

अब जो पार्किंग की समस्या है, अब पार्किंग के लिए परेशानी होती है। इतनी बड़ी दिल्ली है, हर जगह मार्केट्स हैं और हम उनको प्रोटेक्ट करते हैं तो जो पार्किंग की जगह होनी चाहिए थी, वह जगह नहीं है। मैं आशा करता हूं कि वहां मल्टीस्टोरी पार्किंग्ज़, जैसे और बहुत जगह दुनिया में हैं, आप इस तरह की जगह डवलप करेंगे ताकि लोग वहां आराम से गाड़ी खड़ी कर सकें।

सर, एक बात और मैं मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं। सर, आपने मुझे कहा कि आप कोर्ट के आर्डर के बारे में नहीं बोलेंगे, जो हमारे धार्मिक स्थल हैं, जैसे निगम बोध घाट है, वहां पर एक तीन सौ साल पुराना मंदिर ''नीली छतरी'' के नाम से मशहूर है। यमुना के घाट बनारस के घाट की तरह बने हुए हैं, अब उनके लिए आर्डर आ गया है कि उनको तोड़ दो, यह कौन-सा तमाशा है? जो आर्किअलोजिकल सर्वे से संबंधित जगह हैं और जो हैरिटेज से संबंधित जगह हैं, हमारी पुरानी दिल्ली में बहुत सारी जगहों पर हैरिटेज के बोर्ड लगा दिये हैं, 50 साल पुराना मकान है, लेकिन वह भी हैरिटेज के अन्तर्गत आता है। यह क्या है? क्या आप निगम बोध घाट को तोड़ेंगे? वह मजनू का टीला तोड़ेंगे? सिंधी बाबा की मजार है, क्या उसको तोड़ेंगे? क्या आप नीली छतरी का मंदिर तोड़ेंगे? क्या आप वह घाट तोड़ेंगे? यही मैं आपको बताना चाहता हूं और आप मेरे से कह रहे थे कि कोर्ट को डिसकस नहीं करें, तो आप बताइये कि क्या करें? अगर ये टूट जायेंगे, तो कौन इनको कहेगा? यही बात है जो मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर उन्होंने कोई फैसला किया है और वह फैसला ठीक नहीं है, तो उसके बारे में कहने का हमें हक होना चाहिए। क्या उस मंदिर को टूट जाने दें, हम हाथ पर हाथ रखकर बैठ जायें? यह जरूरी है कि हम उनके लिए पॉलिसी बनायें। जो धार्मिक स्थल दो-सौ साल, तीन सौ साल पुराने दिल्ली के इतिहास से जुड़े हुए हैं, उनको बिल्कुल न छुआ जाये और उनके अंदर रहने वाले पुराने जो दस-दस पीढ़ी के लोग हैं, जो पंडे वहां पूजा कराते हैं, उनके परिवार दस-दस पीढ़ी से वहां रह रहे हैं, आप उनको कैसे उजाड़ देंगे? कैसे उनको बाहर निकालकर

खड़ा कर देंगे? पता नहीं डीडीए में बैठकर कौन पॉलिसी बनाता है कि हम इनको बनाकर दूसरी जगह दे देंगे। क्यों दे देंगे? जो उनका घर है, जहां पर वे रहते हैं, उनको आप कैसे वहां से हटायेंगे? उनको हटाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आशा करता हूं, आप गरीब आदमियों के हमदर्द हैं, आप उनकी जरूर मदद करेंगे। अजय माकन जी दिल्ली के रहने वाले हैं, इनको दिल्ली के बारे में पूरा मालूम है।

सर, अगर इस बिल को लाने में कुछ देर हुई है, जिनके मकान टूट गये हैं, जो लोग आज सड़क पर आ गये हैं, जिनको तंग किया गया, जिनकी दुकानें सील हो गई हैं, उनके बारे में मुझे मालूम नहीं है कि आप क्या करेंगे, लेकिन आप उनको सभी बैंकों से लोन दिलवायें। जो भी उनको पांच लाख, दस लाख लोन मिल सकता हो, उनको लोन देने के लिए आप बैंकों को कहें और उनके मकान दोबारा से बनने चाहिए। आपने एक कट आफ डेट 1 जनवरी, 2006 रख दी है, इससे पहले जिनके मकान टूट गये हैं, वे लोग कहां जायेंगे, उनके बच्चे सड़क पर आ गये हैं, उनकी दुकानें सील हो गई हैं? मैं आशा करता हूं कि आप गरीबों के हमदर्द सरकार के मंत्री हैं। जिन लोगों के मकान टूटे हैं, आप उनको बैंकों से ऋण दिलवायेंगे, पैसा दिलवायेंगे, ताकि वे दोबारा अपने मकान बना सकें।

सर, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एनडीएमसी एरिया में और इसमें कोई फर्क आये और इन दोनों की पालिसी में कोई फर्क हो जाये। लाल डोरा के बारे में भी मैंने आपसे कहा है। जिन लोगों ने एफिडेविट दिया है, अभी जैसा श्रीमती सुषमा स्वराज जी ने कहा था कि लोगों में इस बात का बहुत डर है, जो उन्होंने एफिडेविट दिये हैं, आप उनकी लैंग्वेज पढ़िये। ...(समय की घंटी)...

सर, मेरे दो-तीन पाइंट हैं। उन्होंने कहा है कि हम तीन महीने के अंदर दुकान बंद कर देंगे, हम अपना व्यापार बंद कर देंगे, इसके बारे में इस बिल से कुछ साफ नहीं होता है, आपने कहा है स्टेट्स को, तो आपको यह कहना पड़ेगा कि नहीं, जो दुकानें सील की गई हैं, वे दुकानें खोली जायेंगी और हम उन्हें राहत देंगे। आप जो अन-ऑथराइज कॉलोनीज हैं, उनको रेगुलराइज करिये। ये तकरीबन हजार बाहर सौ के करीब हैं। प्रोफेशनलें लोगों के लिए उन्होंने एक आर्डर दे दिया है कि एक फ्लोर पर जो 25 परसेंट जगह है उसमें आप अपना दफ्तर बनायेंगे, चाहे वे डाक्टर हों, चाहे वे वकील हों। अब बताइये कि यह कौन सा तरीका है? एक फ्लोर उनके पास है, वे उस फ्लोर के मालिक हैं या तो आप यह कहिए कि वे बैठ ही नहीं सकते और वहां पर कोई दफ्तर नहीं चलेगा, चाहे वह वकील का हो, चाहे डाक्टर का हो या और कोई प्रोफेशनल आदमी हो। यह कहना कि आप उसमें से 25 परसेंट इस्तेमाल करेंगे, यह मेरी समझ से बाहर है। मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी इस ओर ध्यान देंगे । इस तरह का कोई फैसला कहीं से आया हो या आपके बॉयलॉज में हो तो, आप उसको बदलिये, ताकि लोगों को इसमें राहत मिल सके।

इसी तरह फार्म हाउसेज का है, जो दिल्ली में फार्म हाउसेज हैं, हमारे पास जगह नहीं है, हमारे पास इतने बैंक्वेट हाल नहीं हैं, सरकार की तरफ से जितने शादीघर बनने चाहिए थे, उतने शादी घर नहीं बने, यहां पर कम्युनिटी सेंटर्स नहीं हैं, तो लोगों ने सोचा कि फार्म हाउसेज के अंदर

शादियां हो जायेंगी, लेकिन यह कहना कि साहब इतनी चौड़ी सड़क पर फार्म हाउस होगा, तो शादी होगी और दूसरे पर नहीं होगी, यह क्या मजाक है? डेढ़ करोड़ की आबादी की दिल्ली में आप अगर यह तय करना शुरू कर देंगे कि कहां पर शादी होगी कहां पर शादी नहीं होगी, तो मैं समझता हूं कि यह सहीं नहीं है। आप बैंक्वेट हाल्स को भी प्रोटेक्ट करिये, आप उनकी भी सील खुलवाइये और दूसरे जो फार्म हाउसेज हैं, उनके लैंड यूज को चेंज कर दीजिए। आप ऐसा न करें कि वहां पर बदलकर कोई इंस्टीट्यूट खोल लें या होटल खोल लें, मैं यह नही कह रहा हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कह रहा हूं कि जब एक जमीन खाली पड़ी है, बेकार पड़ी है, तो उसको बेकार में खाली रखा जाये। आगर लोग उसको शादी-ब्याह के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप कोई कानून लाइये जिससे कि उनका राहत मिल सके।

उपसभाध्यक्ष (प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन) : प्लीज कन्क्लूड।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल: सर, जो कुछ दिल्ली में हुआ, उसके लिए मेरे मन में बहुत दुख हैं, तकलीफ है। हम दिल्ली वाले हैं, हमने दिल्ली को बढ़ते हुए देखा है। दिल्ली में पहले कमेटी होती थी, फिर कारपोरेशन बनी, मेट्रोपोलिटन काउंसिल बनी, असेंबली आयी। अब अगर सोनिया जी और मनमोहन सिंह जी मान जाएं और दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दें तो शायद हमें दिल्ली का प्रॉब्लम्स यहां लाकर डिसकस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम दिल्ली वालों को खुद राहत देना चाहते हैं, हमारा मन है, हमने दिल्ली वालों की बहुत सेवा की है। कांग्रेस का एक-एक आदमी, एक-एक कार्यकर्ता और नेता, दिल्ली वालों को अगर जरा सी तकलीफ होती है तो वह दिल से तड़पता है और उनके लिए काम करता है। मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी उदार दिल वाले हैं, अजय माकन जी भी साथ में बैठे हैं, आप जरूर मदद करेंगे। धन्यवाद। जयहिन्द।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIAN): Now, Shri Prasanta Chatterjee. You have eight minutes.

SHRI PRASANTA CHATTERJEE (West Bengal): Sir, this is a very important Bill for the life of Delhi. This Bill-The Delhi Laws (Special Provisions) Bill, 2006—provides for a temporary relief to the people of Delhi against such action for a period of one year within which, this has been stated, various policy issues will be formulated.

At the very outset, I would like to mention it here that it has not happened all of a sudden in Delhi; this chaos has not happened within a few years. Now the problem has taken a very serious turn, and we all know that. I had the opportunity to discuss this issue in some of the Standing Committees and came to know how severe violations of the Master Plan by the very rich people, with the full knowledge of the officials, full knowledge of many of the policy-makers like the DDA and all, have taken place. This has taken place over the years. Who is responsible for that?

I know even Nursing Homes and Kindergarten Schools have come up on the DDA land at concessional prices, and they have completely violated the conditions set forth while allocating land for that specific purpose. I don't know what action has been taken against them. The matter has been discussed in the Committee meetings. They said that they would provide free treatment, which they have not provided. They said that they would provide free education, which they have not provided. I would like to mention only a few violations here.

Sir, it would have been better if this Bill could have come here after discussion in the Standing Committee. But I would like to emphasise the problem of urban life here. Even after 58-59 years of Independence, there is a continuous influx of rural population in the urban areas. It is for job, for shelter, and for livelihood, and this is a continuous process. They find places in Jhuggis and Jhopris. Who is responsible for this? Some of them are staying near canals, and some are staying adjacent to railway tracks on the Government land. You will all agree that the present socio-economic condition is responsible for that.

There is a huge section of the people who violated the master plan, moneyed people, and simultaneously there is a huge section of the people, the shelter-less people, who are staying as encroachers on the Govt. land. Poor people stay in slums. So, while protecting the livelihood and protecting the rights of the people, we must not forget these vulnerable sections of our people; and without improving their lot, the nation cannot progress. I know, Sir, I had the opportunity to serve the Municipal Corporation for many years. Even, Sir, in Kolkata, which is a metropolitan city, I know when I was associated with the municipal administration, Zamindars had every right, the slum people had no right, either stayed in bad condition or faced demolition. That was the situation at that time. Now, the Government of West Bengal has changed that scenario. I would like to mention it here at the present day, the infant mortality rate of Kolkata, as a whole, is higher than that of the infant mortality rate in the slum areas of Kolkata. It has changed a lot because the scenario of the entire slum population has changed a lot after the Left has takenover. It is not only a health problem, but it is a socio-economic problem. So, Sir, the urban has a nexus with the slum life. The urban life cannot be protected by neglecting the slum population and without improving the slum conditions. Without improving the civic amenities there, you cannot improve the health of a metropolis.

4.00 P.M.

Sir, in the present Bill, I would like to emphasise that in the case of encroachers, comprising the shelter-less people, the Government should arrange alternative accommodation when they take over those lands for their purpose of any activities. This is very, very important, Sir, because the forcible removal from their places of residence has taken place. This sode has done this; that side has done this; we had our problems. So, they should be guaranteed; they should be protected. Then, Sir, there are some unauthorised shops in the residential areas whose activities are regularly linked with the daily life in residential areas. But there are other business and economic activities in the residential areas, which are not regularly related with the life of the people in those residential areas. We should make a difference on that. Some of the commercial activities which are directly linked with the residential area, with the population of the residential area, we may regularise them. But those economic activities which are not directly linked with the residential areas, but have come up over the years in the residential areas violating the regulated norms why should we protect them? Why should the serious violators of the master plan, over the years, be protected?

Sir, this is a very important Bill and I think that the views of the Standing Committee will have to be taken into account. I support it with the observation that after a long time, this Bill has come up. This should have come up earlier. With these words, I support this Bill. These are my views on this Bill. Thank you, Sir.

श्री अबू आसिम आज़मी (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष जी, आपने मुझे Delhi Laws (Special Provision) Bill 2006 पर बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। सर, पिछले दिनों दिल्ली में हजारों लोगों के घर तोड़ दिए गए।

श्री उपसभाध्यक्ष (प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन): आसिम जी, आपके बोलने के लिए आठ मिनट हैं।

श्री अबू आसिम आज़मी: बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें बुल्डोजर से तोड़ी गईं। जिनको हम लोगों ने और पूरी दुनिया ने रोते और चिल्लाते हुए देखा। ये सब घर एक दिन में नहीं बन गए थे। ये सारे घर बने हुए कितने जमाने हो गए? बीस-बीस, तीस-तीस, चालीस-चालीस साल से बने हुए घर, जिस तरह से तोड़े गए और इतने दिनों के बाद यह बिल लाया गया, हालांकि हम सब बिल के सपोर्ट में हैं, लेकिन यह बिल बहुत देर से आया है। कहते हैं कि 'सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया'। इतने सारे लोग बर्बाद हो गए, लोगों की रोजी-रोटी छीन ली गई, लोगों के करोड़ों रुपए बर्बाद हो गए और इसके बाद यह बिल आ रहा है, लेकिन जिन लोगों का घर बर्बाद हुआ है, जो लोग अपना सब कुछ बर्बाद कर चुके हैं। उनको सरकार क्या देगी? क्या सरकार उनकी पूरी भरपाई कर के

देगी? सरकार भरपाई कर ही नहीं सकती। सर, आज गांव और शहरों के बीच में इतनी गहरी खाई हो गई है कि गांव में रहने वाला बेचारा आदमी खेती करता है और अगर चाहता है कि खेती से अपनी बेटी की शादी करे, तो वह बेचारा नहीं कर सकता है। वह अपने बूढ़े बाप का इलाज नहीं करवा सकता है। इसीलिए लोग बड़ी तादाद में मुम्बई और दिल्ली की तरफ भाग रहे हैं। मैं जानता हूं कि मुम्बई में ऐसे लोग हैं, जिनके पास गांव में बीस-बीस, तीस-तीस बीघा खेती है, रहने के लिए 15-15 कमरों का घर है, लेकिन मुम्बई की फुटपाथ पर उनका एडरेस नहीं है। कोई चिट्ठी लेकर आता है तो फुटपाथ पर जाकर, रात में उसका मुंह खोलकर देखता है कि यह मेरे गांव का फलां आदमी है, तब उसको चिट्ठी डिलिवर करता हैं गांव में उसके पास बीस कमरों का घर है, लेकिन मुम्बई में एक झोंपड़ा भी उसके पास नहीं है। बहुत से लोगों ने झोंपड़े भी बना लिए हैं, तो आज ऐसा लगता है कि मल्टीनेशनल के इस्तकबाल के लिए हम लोग मुम्बई को शंघाई बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह से दिल्ली में भी हो रहा है। पहले जिस जगह पर कुत्ता रहने को तैयार नहीं था और उस बदबूदार जगह को कोई पूछता नहीं था, आज ऐसी जगहों को तीस-तीस, पैंतीस-पैंतीस हजार फुट के रेट पर बेचा जा रहा है और उन गरीबों की जगहों को तोड़कर बेचा जा रहा है। मेरा यह कहना है कि जब वे झोंपड़े या बिल्डिंगें बनी थीं, तो वे कोई आधी रात में नहीं बन गई, हम कारपोरेशन के अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा उन मुलाजिमों को देते हैं, जिनकी उनको देखने की वहां पर ड्यूटी है। सर, मैं आपको बतलाऊंगा कि जैसे कहीं पर गुड़ गिर जाता है, शक्कर गिर जाती है तो चींटी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। चींटी अपने आप गुड़ के पास पहुंच जाती है। इसी तरह से कहीं पर यदि सीमेंट गिर जाए, कहीं बालू गिर जाए, कहीं ईंट गिर जाए तो कारपोरेशन के लोग, पुलिस वाले, वहां पर बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। यह देखते हुए कि यह सीमेंट कहां गई, वे बिल्डिंग में घुस जाते है। जो इल्लीगल काम होता है, उसे रिश्वत लेकर करवाते हैं। एक बिल्डिंग भी बिना आफिसर की जानकारी के नहीं बन सकती है। जब झोंपड़े तोड़े जाते हैं तो क्या आपने इनके लिए कोई प्रोविजन बनाया है कि वे आफिसर, वे पुलिस वाले और म्युनिसिपल्टी वाले, जिन्होंने मोटी-मोटी रकम लेकर बिल्डिंग्स बनवाई थीं, उनका क्या होगा। आज एक बिल आएगा और कल फिर इल्लीगल बनेगा तो इसके लिए आप एक प्रोविजन लाइए कि जिस इलाके में गैर-कानूनी काम होगा, यह काम म्युनिसिपैलिटी वाले या पुलिस वाले करवाएंगे तो उनको सस्पेंड किया जाए और उन पर मुकदमा चलाया जाए। जब तक आप यह नहीं करेंगे तो इसी तरह से लोगों का घर बनेगा। यदि आप उनको सस्पेंड करेंगे तो किसी की भी हिम्मत रिश्वत लेने की नहीं होगी और न ही कोई गलत काम करेगा। मैं यह भी जानता हूं कि पुलिस वालों का हफ्ता बंधा हुआ होता है। यदि कहीं सीमेंट आ रही है तो वहां पर ट्रक नहीं आ सकता है, जब तुक कि उनका हफ्ता नहीं जाएगा। यदि हफ्ता दिया है तो ट्रक ले जाओ और इल्लीगल काम करो और जिस दिन हफ्ता बंद, उस दिन सीमेंट जाना बंद। मैं अभी आपको बतलाता हूं कि आप इसके लिए एक प्रोविजन और लाइए। मैं यह बात पूरे ह्यऊस से कहना चाहता हूं कि जब महाराष्ट्र में पिछला इलैक्शन हुआ तो कांग्रेस पार्टी और एनसीपी ने एक मैनिफैस्टो छापा कि हम 2000 तक के तमाम झोंपड़ों को रेग्युलराइज कर देंगे। इनको कोई तोड़ेगा नहीं और इनको बिजली-पानी सब मिलेगा इसलिए

हमें वोट दो और लोगों ने वोट दी। वोट देने के बाद लोगों के 1995 तक झोंपड़े तोड़ दिए। महोदय, आज आप यदि मुम्बई में जाकर देखेंगे तो पाएंगे एक लाख लोग बगैर छत के रहते हैं। आपने मैनिफैस्टो बनाया था और कहा था कि 2000 तक के झोंपड़ों को संरक्षण देंगे, फिर आपने इनको कैसे तोड़ा? आज कोई इनसे पूछने वाला है? आज कई हजार बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं क्योंकि उन बेचारों के लिए छत नहीं है। मैं आज मुम्बई में बात कर रहा था, मुझे पता चला कि मुम्बई के कुर्ला इलाके में, मीठी नदी के नाम पर, लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं। मैं जानता था कि वहां पर कई लोग बेचारे उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे और वे काफी बड़े-बड़े आदमी थे। यह कहा था कि उनकी जगह आल्टरनेटिव एकमोडेशन देंगे, कहां देंगे, मुम्बई से 50 किलोमीटर दूर। जहां पर कोई धन्धा भी नहीं होगा। वहां पर उनको कोई फायदा ही नहीं होगा। आप उन जगहों को पैंतीस हजार या पचास हजार फुट के भाव पर बेचेंगे। हमारे पुरखों ने मुम्बई में सिर पर मिट्टी लाद-लाद कर, उन बदबूदार जगहों को आज बड़ी जगह बनाया है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर किसी की कोई जमीन है और प्लान में आती है, यदि इम्पोर्टेन्ट प्लेस है तो आप उसको जरूर हटाइए। लेकिन उनको उसी रेट की जगह आप दीजिए, नहीं तो इस देश में लॉ ऐंड ऑर्डर की situation खराब होगी। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज गरीबी और अमीरी के बीच की खाई इतनी गहरी हो गई है कि इसकी वजह से लॉ ऐंड ऑर्डर की situation खराब होती जा रही है। आज 1995 तक के झोंपड़े वहां तोड़ दिए गए हैं। आज हजारों-हजार लोगों के झोंपड़े तोड़ दिए गए हैं और प्रोटेक्शन एक साल के लिए आ रहा है, यह बिल्कुल ठीक नहीं है। जितने झोंपड़े आज बन चुके हैं, वे regularise हो जाने चाहिए और दूसरे झोंपड़े बनने न पाएं, इस पर रोक लगाई जाए, इस बारे में कानून लाया जाए कि किसी जमीन पर कोई illegal झोंपड़ा न बनने पाए, तब इसके लिए कोई agitation नहीं होगा। अभी आपने देखा कि बड़ौदा के अंदर 200 साल पुरानी दरगाह को तोड़ दिया गया, जब कि वहां के लोग बात करने के लिए तैयार थे कि यदि तोड़ना जरूरी है, तो इसके लिए कोई न कोई रास्ता निकाला जाएगा, लेकिन उसे तोड़ दिया गया, इसमें 6 लोग मारे गए, कितने ही लोग जला दिए गए। आज कोई ऐसा कानून बनाइए कि जो पुरानी चीजें बन चुकी हैं, जैसे मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, दरगाहें आदि, इनको कोई हाथ न लगाने पाए। इनको इस तरह तोड़े जाने से देश को बहुत बड़ी हानि पहुंच रही है।

महोदय, मुम्बई की क्या हालत है? जैसे दिल्ली में DDA है, मुम्बई में MHADA है, MHADA वाले लोगों को घर बनाकर नहीं दे रहे हैं। लोगों के घर टूट गए है, 25-25 सालों से लोग इस इंतजार में बैठे हैं कि उनको घर मिलेगा, उनके बच्चे जवान हो गए, बूढ़े लोग मर गए, लेकिन उनको आज तक उनके घर नहीं मिले। इसके लिए कुछ किया जाना चाहिए।

महोदय, ये जो चीजें हो रही हैं, बड़े-बड़े लोगों के मकान, मंत्रियों के मकान इसमें आ रहे हैं। इसलिए आज बहुत सारे लोगों को इस तरह के बिल लाने की चिंता हो गई, लेकिन चूंकि मैं मुंबई का रहने वाला हूं, मैं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि म्युनिसिपैलिटी ने मुंबई में झोंपड़े तोड़ने के साथ-साथ उनको जला भी दिया है। कहते हैं कि—

''लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में,

तुम क्यों तरस नहीं खाते झोंपड़िया जलाने में?''

आज इस देश के अंदर यह हालत है कि बेचारा गरीब यदि सिर छुपाने के लिए कहीं छोटा सा कमरा बना रहा है, तो पहले उससे रिश्वत लेकर, मोटी-मोटी रकम लेकर उसका घर बनवा दिया जाता है और थोड़े दिनों के बाद उसके घर को तोड़ दिया जाता है, कई बार उसे जेल भी भेज दिया जाता है। आज मैं इस हाउस में यह कहना चाहता हूं कि जो लोग रिश्वत लेकर इस तरह घर बनवा रहे हैं, उनके खिलाफ ऐक्शन लिया जाए, इसके लिए आप इसमें जरूर प्रोविजन लाएं। हमारी पालिटिकल पार्टियां यह आश्वासन देती हैं कि यदि हम जीतकर आए, तो आपके लिए घर बनवाएंगे। मुझे अफसोस होता है और इस बात पर हंसी भी आती है कि हमारे जैसे लोग या बड़े-बड़े नेता वोट मांगने के लिए किसी अच्छी बस्ती में नहीं जाते हैं, उन इलाकों में नहीं जाते हैं जहां बड़ी-बड़ी buildings हैं। वहां अगर आप mike लगाओ, तो वे फोन कर देते हैं कि हमारे एरिया में noise pollution हो रहा है, इसे जल्दी से हटाओ। ये नेता लोग उन्हीं झोपड़-पट्टियों में जाते हैं, जहां पीने का पानी नहीं हैं, सड़क नहीं हैं, रहने के लिए कमरा नहीं है, वहीं जाकर वे वोट लेकर आते हैं और सरकार बनाते हैं। सरकार वही बनाते हैं और उन्हीं का घर तोड़ा जाता है। वही लोग सरकार बनाने के लिए वोट देते है। इसलिए जिन गरीबों को आश्वासन दिया जाता है, उनको प्रोटेक्शन दिया जाना चाहिए। ये कहीं से आए हुए लोग नहीं हैं, ये लोग यहीं के रहने वाले हैं। हमारे देश की संस्कृति यह है कि हम तो मेहमानों की भी इज्जत करते हैं, अगर कहीं कोई गरीब आकर बस गया है, तो उसको भी बसाइए, लेकिन कम से कम इस मुल्क में रहने वाले लोगों के लिए दो-तीन कमरे का एक घर हो, उनकी अपनी प्रॉपर्टी पर घर होना चाहिए। जो जमीनें इनके कब्जे में हैं, चाहे वह रेलवे की जमीन हो या कोई भी जमीन हो, उस गरीब को मालूम नहीं है कि यह कौन सी जमीन है। चाहे वह कोई भी जमीन हो, जिस जमीन पर वह बस चुका है, उस जमीन पर उसको मालिकाना हक दिया जाए। यदि उसे वहां से हटाना है, तो कम से कम alternate accommodation दिया जाए और उसका घर तोड़ने से पहले accommodation दिया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दिया। मैं गुजारिश करता हूं कि इस बिल के माध्यम से गरीबों के लिए कुछ न कुछ सोचा जाए। धन्यवाद।

شری ابو عاصم اعظمی "اتر پردیش" : آپ سبھاادھیکش جی، آپ نے مجھے Delhi Laws (Special Provision) Bill' 2006 پر بولنے کا موقع دیا ہے، اس کے لئے میں آپ کا دھنیواد کرتا ہوں، سر، پچھلے دنوں دہلی میں ہزاروں لوگوں کے گھر توڑ دئے گئے۔

• شری آپ سبھاادھیکش "پروفیسر پی۔جے۔کورین" : عاصم جی آپ کے بولنے کے آٹھ منٹ ہیں۔

†Translation of Urdu Script.

شری ابو عاصم اعظمی : بڑی بڑی بلڈنگیں بلڈوزر سے توڑی گئیں۔ جن کو ہم لوگوں نے اور پوری دنیا نے روتے اور چلاتے ہوئے دیکھا۔ یہ سب گھر ایک دن میں نہیں بنائے گئے تھے یہ سارے گھر بنے ہوئے کتنے زمانے ہوگئے؟ بیس، بیس، تیس تیس، چالیس چالیس، سالوں سے بنے ہوئے گھر، جس طرح سے توڑے گئے اور اتنے دنوں کے بعد یہ بل لایا گیا، حالانکہ یہ سب بل کے سپورٹ میں ہیں لیکن یہ بل دیر سے آیا ہے۔ کہتے ہیں کہ سب کچھ لٹا کے ہوش میں آئے تو کیا کیا؟ اتنے سارے لوگ برباد ہوگئے، لوگوں کی روزی روٹی چھین لی گئی، لوگوں کے کروڑوں روپے برباد ہوگئے اور اس کے بعد یہ بل آرہا ہے، لیکن جن لوگوں کا گھر برباد ہوا ہے، جو لوگ اپنا سب کچھ برباد کر چکے ہیں ان کو سرکار کیا دے گی؟ کیا سرکار ان کی پوری بھرپائی کر کے دے گی؟ سرکار بھرپائی کر ہی نہیں سکتی۔

سر، آج گاؤں اور شہروں کے بیچ میں اتنی گہری کھائی ہوگئی ہے کہ گاؤں میں رہنے والا بیچارہ آدمی کھیتی کرتا ہے اور اگر چاہتا ہے کہ کھیتی سے اپنی بیٹی کی شادی کرے تو وہ بیچارہ نہیں کر سکتا۔ وہ اپنے بوڑھے باپ کا علاج نہیں کروا سکتا ہے۔ اسی لئے لوگ بڑی تعداد میں ممبئی اور دہلی کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ ممبئی میں ایسے لوگ ہیں جن کے پاس گاؤں میں بیس بیس، تیس تیس، بیگھہ کھیتی ہے، رہنے کے لئے پندرہ، پندرہ کمروں کا گھر ہے۔ لیکن ممبئی کی فٹ پاتھ پر ان کا ایڈریس نہیں ہے۔ کوئی چھٹی لے کر آتا ہے تو فٹ پاتھ پر جا کر رات میں اس کا منہ کھول کر دیکھتا ہے کہ یہ میرے گاؤں کا فلاں آدمی ہے، تب اس کو چھٹی ڈلیور کرتا ہے۔ گاؤں میں اس کے پاس بیس کمروں کا گھر ہے، لیکن ممبئی میں ایک جھونپڑا بھی اس کے پاس نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں نے جھونپڑے بھی بنا لئے ہیں، تو آج ایسا لگتا ہے کہ ملٹی نیشنل کے استقبال کے لئے ہم لوگ ممبئی کو شنگھائی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے دہلی میں بھی ہو رہا ہے۔ پہلے جس جگہ پر کتا رہنے کو تیار نہیں تھا اور اس بدبودار جگہ کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، آج ایسی جگہوں کو تیس تیس، پینتیس پینتیس ہزار روپے فٹ کے ریٹ پر بیچا جا رہا ہے اور ان غریبوں کی جگہ کو توڑ کر بیچا جا رہا ہے، میرا یہ کہنا ہے کہ جب یہ جھونپڑے اور بلڈنگیں بنی تھیں اور یہ کوئی آدھی رات میں نہیں بن گئیں، ہم کارپوریشن کے اپنے بجٹ کا بہت بڑا حصہ ان ملازمین کو دیتے ہیں جن کی ان کو دیکھنے کی وہاں پر ڈیوٹی ہے۔

سر، میں آپ کو بتلاؤں گا کہ جیسے کہیں پر گڑ گر جاتا ہے، شکر گر جاتی ہے تو چیونٹی کو بلانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، چیونٹی اپنے آپ گڑ کے پاس پہنچ جاتی ہے، اسی طرح سے کہیں پر اگر سیمنٹ گر جائے کہیں بالو گر جائے

†[]Translation of Urdu Script.

کہیں اینٹ گر جائے، تو کارپوریشن کے لوگ، پولیس والے وہاں پر بہت جلدی پہنچ جاتے ہیں۔ یہ دیکھتے ہوئے کہ یہ سیمنٹ کہاں گئی، وہ بلڈنگ میں گھس جاتے ہیں جو الیگل کام ہوتا ہے اسے رشوت لے کر کرواتے ہیں۔ ایک بلڈنگ بھی بنا آفیسر کی جانکاری کے نہیں بن سکتی ہے، جب جھونپڑے توڑے جاتے ہیں تو کیا آپ نے ان کے لئے کوئی پروڑن بنایا ہے کہ وہ آفیسر، وہ پولیس والے اور میونسپلٹی والے، جنہوں نے موٹی موٹی رقم بلڈنگیں بنوائی تھیں، ان کا کیا ہوگا۔ آج ایک بل آئے گا کل پھر الیگل بنے گا تو اس کے لئے آپ ایک پروڑن لائیے کہ جس علاقے میں غیر قانونی کام ہوگا وہ کام میونسپلٹی والے یا پولیس والے کروائیں گے تو ان کو سسپینڈ کیا جائے اور ان پر مقدمہ چلایا جائے۔ جب تک آپ یہ نہیں کریں گے تو اسی طرح سے لوگوں کا گھر بنے گا۔ اگر آپ ان کو سسپینڈ کریں گے تو کسی کی بھی ہمت رشوت لینے کی نہیں ہوگی۔ اور نہ ہی کوئی غلط کام کرے گا، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ پولیس والوں کا ہفتہ بندھا ہوا ہوتا ہے۔ اگر کہیں سیمنٹ آ رہی ہے تو وہاں پر ٹرک نہیں آ سکتا ہے جب تک کہ ان کا ہفتہ نہیں جائے گا اگر ہفتہ دیا ہے تو ٹرک لے جاؤ اور الیگل کام کرو، اور جس ہفتے بند، اس دن سیمنٹ جانا بند۔ میں ابھی آپ کو بتلاتا ہوں کہ آپ اس کے لئے ایک پروڑن اور لائیے۔ میں یہ بات پورے ہاؤس سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب مہاراشٹر میں پچھلا الیکشن ہوا تو کانگریس پارٹی اور ایم.بی.ڈی. نے ایک مینی فیسٹو چھاپا کہ ہم ۲۰۰۰ تک کے تمام جھونپڑوں کو ریگولرائز کر دیں گے، ان کو کوئی توڑے گا نہیں اور ان کو بجلی پانی سب ملے گا، اس لئے ہمیں ووٹ تو اور لوگوں نے ووٹ دیا۔ ووٹ دینے کے بعد لوگوں کے ۱۹۹۵ تک کے جھونپڑے توڑ دئے گئے۔

مہودے، آج آپ اگر ممبئی میں جا کر دیکھیں گے تو پائیں گے ایک لاکھ لوگ بغیر چھت کے رہتے ہیں۔ آپ نے مینوفیسٹو بنایا تھا اور کہا تھا کہ ۲۰۰۰ کے جھونپڑوں کو سنکرکشن دیں گے پھر آپ نے ان کو کیسے توڑا؟ آج کوئی ان سے پوچھنے والا ہے؟ آج کئی ہزار بچے اسکول نہیں جا رہے ہیں کیوں کہ ان بیچاروں کے لئے چھت نہیں ہے۔ میں آج ممبئی میں بات کر رہا تھا، مجھے پتہ چلا کہ ممبئی کے کرلا علاقے میں، میٹھی ندی کے نام پر، لوگوں کے گھر توڑے جا رہے ہیں۔ میں جانتا تھا کہ وہاں پر کئی لوگ بیچارے اتر پردیش کے رہنے والے تھے اور وہ کافی بڑے بڑے آدمی تھے۔ یہ کہا تھا کہ ان کی جگہ الٹرنیٹو ایکوموڈیشن دیں گے، کہاں دیں گے؟ ممبئی سے پچاس کلومیٹر دور، جہاں پر کوئی دھندہ بھی نہیں ہوگا۔ وہاں پر ان کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ آپ ان جگہوں کو ۳۵ ہزار یا ۵۰ ہزار فٹ کے بھاؤ پر بیچیں گے۔ ہمارے پرکھوں نے ممبئی میں سر پر مٹی لاد لاد کر

†[]Translation of Urdu Script.

ان بدبودار جگہوں کو آج بڑی جگہ بنایا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کی کوئی زمین ہے اور پلان میں آتی ہے ، اگر امپورٹینٹ جگہ ہے تو آپ اس کو ضرور ہٹایئے لیکن ان کو اسی ریٹ کی جگہ آپ دیجئے نہیں تو اس دیش میں لاء اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہوگی۔ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج غریبی اور امیری کے بیچ کی کھائی اتنی گہری ہوگئی ہے کہ اس کی وجہ سے لاء اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہوتی جارہی ہے۔ آج ۱۹۹۵ تک کے جھونپڑے وہاں توڑ دیئے گئے ہیں۔ آج ہزاروں ہزار لوگوں کے جھونپڑے توڑ دیئے گئے ہیں اور پروٹیکشن ایک سال کے لئے آرہا ہے، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ جتنے جھونپڑے آج بن چکے ہیں، وہ ریگولرائز ہو جانے چاہئیں اور دوسرے جھونپڑے بننے نہ پائیں، اس پر روک لگائی جائے، اس بارے میں قانون لایا جائے کہ کسی زمین پر کوئی اِلیگل جھونپڑا نہ بننے پائے، تب اس کے لئے کوئی ایجیٹیشن نہیں کرے گا۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ بڑودہ کے اندر ۲۰۰ سال پرانی درگاہ کو توڑ دیا گیا، جب کہ وہاں کے لوگ بات کرنے کے لئے تیار تھے کہ اگر توڑنا ضروری ہے، تو اس کے لئے کوئی نہ کوئی راستہ نکالا جائے گا، لیکن اسے توڑ دیا گیا، اس میں ۶ لوگ مارے گئے، کتنے ہی لوگ جلا دیئے گئے۔ آج کوئی ایسا قانون بنایئے کہ جو پرانی چیزیں بن چکی ہیں، جیسے مندر، مسجد، گرجا گھر، گردوارا، درگاہیں وغیرہ، ان کو کوئی ہاتھ نہ لگانے پائے۔ اس کو اس طرح توڑے جانے سے دیش کو بہت بڑا نقصان پہنچ رہا ہے۔

مہودے، ممبئی کی کیا حالت ہے؟ جیسے دہلی میں ڈی.ڈی.اے. ہے، ممبئی میں ایم.ایچ.اے.ڈی.اے. ہے، ایم.ایچ.اے.ڈی.اے. والے لوگوں کو گھر بنا کر نہیں دے رہے ہیں۔ لوگوں کے گھر ٹوٹ گئے، ۲۵-۲۵ سالوں سے لوگ اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ ان کو گھر ملے گا، ان کے بچے جوان ہوگئے، بوڑھے لوگ مر گئے، لیکن ان کو آج تک ان کے گھر نہیں ملے۔ اس کے لئے کچھ کیا جانا چاہئے۔

مہودے، یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں، بڑے بڑے لوگوں کے مکان، منتریوں کے مکان اس میں آرہے ہیں۔ اس لئے آج بہت سارے لوگوں کو اس طرح کا بل لانے کی چنتا ہوگئی، لیکن چونکہ میں ممبئی کا رہنے والا ہوں، میں دیکھ رہا ہے کہ میونسپلٹی نے ممبئی میں جھونپڑے توڑنے کے ساتھ ساتھ ان کو جلا بھی دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ

لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں
تم کیوں ترس نہیں کھاتے جھونپڑیاں جلانے میں

آج اس دیش کے اندر یہ حالت ہے کہ بیچارہ غریب اگر سر چھپانے کے لئے کہیں چھوٹا سا کمرہ بنا رہا ہے، تو پہلے

اس سے رشوت لے کر، موٹی موٹی رقم لے کر اس کا گھر بنوا دیا جاتا ہے اور تھوڑے دنوں کے بعد اس کے گھر کو توڑ دیا جاتا ہے، کئی اسے جیل بھی بھیج دیا جاتا ہے آج میں اس ہاؤس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ رشوت لے کر اس طرح گھر بنوا رہے ہیں ان کے خلاف ایکشن لیا جائے، اس کے لئے آپ اس میں ضرور پروویژن لائیں۔ ہماری پالیٹیکل پارٹیاں یہ آشواسن دیتی ہیں کہ اگر ہم جیت کر آئے، تو آپ کے لئے گھر بنوائیں گے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے اور اس بات پر ہنسی بھی آتی ہے کہ ہمارے جیسے لوگ یا بڑے بڑے نیتا لوگ ووٹ مانگنے کے لئے کسی اچھی بستی میں نہیں جاتے ہیں، ان علاقوں میں نہیں جاتے ہیں جہاں بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں۔ وہاں اگر آپ مائک لگاؤ، تو وہ فون کر دیتے ہیں کہ ہمارے ایریا میں نوئس پالوشن ہو رہا ہے، اسے جلدی سے ہٹاؤ۔ یہ نیتا لوگ انہیں جھونپڑپٹیوں میں جاتے ہیں، جہاں پینے کا پانی نہیں ہے، سڑک نہیں ہے، رہنے کے لئے کمرہ نہیں ہے، وہیں جا کر وہ ووٹ لے کر آتے ہیں اور سرکار بناتے ہیں۔ سرکار وہی بناتے ہیں اور انہیں کا گھر توڑا جاتا ہے۔ وہی لوگ سرکار بنانے کے لئے ووٹ دیتے ہیں۔ اس لئے جن غریبوں کو آشواسن دیا جاتا ہے، ان کو پروٹیکشن دیا جانا چاہئے۔ یہ کہیں سے آئے ہوئے لوگ نہیں ہیں، یہ لوگ یہیں کے رہنے والے ہیں۔ ہمارے دیش کی سنسکرتی یہ ہے کہ ہم تو مہمانوں کی بھی عزت کرتے ہیں، اگر کہیں کوئی غریب آ کر بس گیا ہے، تو اس کو بھی بسایئے، لیکن کم سے کم اس ملک میں رہنے والے لوگوں کے لئے دو تین کمرے کا ایک گھر ہو، ان کی اپنی پراپرٹی کا گھر ہونا چاہئے۔ جو زمینیں ان کے قبضے میں ہیں، چاہے وہ ریلوے کی زمین ہو یا کوئی بھی زمین ہو، اس غریب کو معلوم نہیں ہے کہ یہ کون سی زمین ہے۔ چاہے وہ کوئی بھی زمین ہو، جس زمین پر وہ بس چکا ہے، اس زمین پر اس کو مالکانہ حق دیا جائے۔ اگر اسے وہاں سے ہٹانا ہے، تو کم سے کم اسے الٹرنیٹ ایکوموڈیشن دیا جائے اور اس کا گھر توڑنے سے پہلے ایکوموڈیشن دیا جائے۔ انہیں شبدوں کے ساتھ میں اپنی بات سماپت کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس بل پر بولنے کا موقع دیا۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ اس بل کے مادھیم سے غریبوں کے لئے کچھ نہ کچھ سوچا جائے۔ دھنیواد۔

†[]Translation of Urdu Script.

प्रो. राम देव भंडारी (बिहार): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, सैकड़ों वर्षों से दिल्ली उजड़ती और बसती रही है, लेकिन इसका दिल बहुत बड़ा है। देश के किसी भी कोने से गरीब आ जाए या करोड़पति-अरबपति आ जाए, दिल्ली के दिल में सबकों जगह मिल जाती है और कहीं न कहीं पांव धरने की जगह या आलीशान बंगला बनाने की जगह मिल जाती है, लेकिन कभी-कभी दिल्ली बहुत बेरहम हो जाती है। पिछले 6 महीनों से ऐसा लग रहा था कि दिल्ली में बहुत बड़ा भूकम्प आया हुआ है। कहीं अतिक्रमण तोड़ा जा रहा है, कहीं unauthorised कॉलोनियां तोड़ी जा रही हैं और झुग्गी-झोंपड़ी वालों को तो कोई देखने वाला है ही नहीं, वे तो टूटते ही रहते है। इस बार इसलिए हमारी चिन्ता बढ़ गई कि इस बार मकान तोड़ने में जिन लोगों का नाम था, जिनके मकान टूटने थे, अतिकमण टूटने थे, उनमें कुछ बड़े लोग भी थे। इसलिए हमारी चिन्ता बढ़ गई बड़े-बड़े लोग, बड़ी बड़ी पार्टियां धरने प्रदर्शन करने लगीं। ऐसा लगा कि पूरी दिल्ली प्रदर्शन का एक बड़ा ग्राउंड बन गई है।

महोदय, यह अच्छी बात है कि सालों से जो बिल्डिंग्स बने हुए हैं, उन्हें तोड़ा जा रहा है, तो इसके बारे में कानून बनना चाहिए। अग्रवाल साहब ठीक कह रहे थे कि एक दिन में ये मकान नहीं बने। वर्षों में, 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष में ये मकान बने। जब मकान बना होगा, उस समय जिन्होंने इसे बनवाया होगा, उनको जानकारी होगी कि यह मकान सरकारी जमीन में है, यह मकान अतिक्रमण में बन रहा है। उस समय इसे नहीं रोका गया क्योंकि जिन लोगों ने उस समय इसे बनवाया, चाहे वे पुलिस के आदमी हों, डीडीए के आदमी हों या ठेकेदार हों, जो unauthorised कॉलोनियां बनाते हैं, कहीं-न-कहीं से प्रशासन का उन पर आशीर्वाद होगा। उनके खिलाफ भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। जेल तो उन्हें भेजना चाहिए। मगर आज इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है उस मकान में रहने वालों को, दुकान चलाने वालों को। महोदय, रिक्शा-चालक, ठेलेवाले, रेहड़ीवाले, रोज सड़क पर दुकान लगाने वाले, लाखों की संख्या में यहां दिल्ली में रहते है। हम लोगों के पास शिकायतें आती हैं, पुलिस की ज्यादती की शिकायत आती है। वे आकर बताते हैं कि मैं यहां ठेला लगा रहा था, मै यहां रेहड़ी लगा रहा था, तो पुलिस वाले आए और मार-पीट कर वहां से भगा दिया। उन्हीं पुलिस वालों को जब ठेलेवाले, रेहड़ीवाले पैसा देते हैं, तो वही पुलिस वाले सड़क पर उनको लगाने देते हैं।

महोदय, मैं झुग्गी झोंपड़ी का सवाल उठाना चाहता हूं, क्योंकि बड़े लोगों का सवाल उठाने वाले तो बहुत सारे लोग हैं। आए दिन झुग्गी झोंपड़ियों में आग लगती है। लोग कहते हैं कि लगाई जाती है। झुग्गी-झोपड़ियों को आम मकान नहीं कह सकते हैं। कोई प्लास्टिक की छत का बनाया हुआ है, कोई टिन का बनाया हुआ है। साथ ही लोग कहते हैं कि unauthorised है। मगर वे उसी में रहते हैं, उनके बाल-बच्चे, परिवार के लोग भी उसमें रहते है। एकाएक किसी दिन बुलडोजर आता है और उनके घरों को, उनके मकानों को मिटटी में मिला देता है। कहां जाएंगे वे? बड़े लोगों के पास दूसरा घर भी होता है। उनको रखने वाले लोग भी होते हैं। मगर झुग्गी-झोंपड़ी वालों के लिए कहीं कोई जगह नहीं होती है। मैं यही कहना चाहता हूं कि आप झुग्गी-झोंपड़ी को हटाइए, मगर हटाने से

पहले उनकी व्यवस्था करिए। उनको एकाएक उनके बच्चों के साथ, उनके परिवार के साथ सड़क पर मत फेंक दीजिए।

महोदय, यह जो बिल आया हैं, यह एक इम्पार्टेंट बिल है। मगर इस बिल का लाभ सिर्फ बड़े लोगों को ही नहीं मिलना चाहिए। इस बिल का लाभ जो लाखों गरीब लोग हैं, जो अपना घर-बार छोड़ कर गांवों से आए हुए हैं और दिल्ली को बनाने में जिनका बहुत बड़ा योगदान है, उन्हें भी मिलना चाहिए। दिल्ली सिर्फ करोड़पतियों-अरबपतियों से नहीं बनती। मैं जानता हूं कि दिल्ली में कानून बनाने वाले यहां पार्लियामेंट में हम सभी बैठे हैं।

दिल्ली में कई हिस्टॉरीकल प्लेसेज हैं। दिल्ली का एक बहुत बड़ा इतिहास है, मगर उस दिल्ली को बनाने में इन गरीबों का भी हाथ है और जब इन के खिलाफ कार्यवाही होती है तो कोई सुनने वाला नहीं होता है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि बड़े लोगों के साथ-साथ इन गरीब लोगों का भी ध्यान आप निश्चित रूप से रखें। फिर आप को गरीब की आह नहीं लगेगी, गरीब का आशीर्वाद मिलेगा और आप को अपने कार्य में निश्चित रूप से सफलता मिलेगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI ARUN JAITLEY (Gujarat): Mr. Vice-Chairman, Sir, there are just a few points towards the end of this debate that I wish to place before this hon. House in regard to this Bill which has been proposed by Shri Reddy. It is quite obvious that the hon. Minister has a very serious problem to tackle. It is a problem that he has inherited. The problem, in a nutshell, is that the city has grown in a disproportionate manner. The population of this city, in 1962, was only 50 lakhs. That was the projected strength of Delhi. And the first Master Plan, when it was prepared in 1962, projected a population of 50 lakhs. In 1981, it was still about 62 lakhs. By 2001, it was 1.28 crore. Today, we have a populaiton size which would be nearing almost 1.5 crores. When you have a city of this size, one part of the problem which the Minister has to tackle is that he has to work for the planned development of the city; work for urban renewal so that Delhi can become, internationally, a quality city. On the other hand, one of the serious drawbacks in the planning of the city that has taken place is that the city, as most of the Members have felt, attracts a lot of poor people, migrant labour, who come to Delhi in search of jobs. The city having grown disproportionately and economic activity in the city having multiplied, the city needs commercial establishments also. One of the failed aspects of the Delhi's town planning has been that for a city of almost 15 million, the number of shops which is required, the number of office places which is required, the number of commercial establishments which is required and

for a city which has huge economic potential, those establishments are very few in number. To cater to the city where employment is also generated and people get work places, there is a lopsided development of the city which has taken place. The population of all kinds, commercially affluent, migrant labour, etc. has grown. But neither a provision for their residences nor commercial and office spaces, keeping in touch with the economic activity, has kept pace with that. Therefore, the obvious problem which the hon. Minister has inherited is that once people are there and they require a shelter to lie, they require a place to work, if those authorised avenues are not made available to them, the unauthorised avenues would come into existence. Therefore, *de facto* reality to Delhi is that the Master Plan requirements, building byelaws requirements have actually become places of rusted legislations. They have a lot of rust on them. We can try and enforce them and find that they are becoming unenforceable. Therefore in a very modest opening statement, the Minister said, "Well I need, at least, one year to sort this mess out, therefore, we have constituted an Expert Committee, headed by Shri Tejendra Khanna and he is going to make recommendations as to how do we sort this problem out; what are the new kinds of commercial establishments we require and what do we do about the old problem which has accumulated over the years. Therefore, till then, let us suspend the penal actions which are being taken against these structures."

That, in effect, is the spirit of this Bill. And, my colleague, Shrimati Sushma Swaraj, has already said that in an endeavour to find a solution for the people of Delhi, if one more opportunity the Government wants and one moer methodology the Government wants, we would not like to be seen standing in the way. In fact, we would have been happier had this come a few days earlier so that the problem could have really been sorted out, and we would have happily supported the proposal. But I do not know against whom my friend, Mr. Jai Parkash Aggarwal, was angry. A part of his anger was directed against the court; a part of his anger was directed against us. But, I think, his real anger was directed against his own party. His party has been in power in the Municipal Corporation for almost the last eight years. His party has been in power in the State of Delhi for the last seven years. These demolitions and sealings have been going on in the last three to four months. His party has been in power at the Centre for the last two years. They have not only been silent spectators, but they also probably thought that the do-nothing approach was the best approach, and, therefore, these problems would solve themselves out. Let us see how the Government, at different levels, has

been trying to sort this out and how this problem arose in the first instance, three months ago. The Delhi High Court, about two-three years ago, said that if the property was misused for a commercial purpose, the Municipal Corporation, had no power to seal it. So the law would look at the other direction if a property was being misused. The extreme action of sealing was not permitted. Shri Aggarwal's party, which controls the Municipal Corporation, had said, "My powers are being taken away. How can this High Court say that we don't have a power to seal? We must seal." So, the Congress (I) Party which rules the Municipal Corporation decided to challenge that, and then the Congress (I) Party's Municipal Corporation succeeded before the Superme Court. And the Supreme Court said, "Yes; the High Court judgement is wrong. There is a power to seal." So, when the Apex Court of the country gave them the power to seal, the Court obviously said, "We have now given you the power to seal. So, please start sealing." Then, his party realised, "If I start sealing, the,, I will start losing votes." And, immediately, a panic reaction sarted. so, they went back to the Court and said, "Well; we can't do all these at the same time. So, please give me six months to find a solution. Officially, the Government of India moved an application Now, what are we choosing to do? If I may just put it in brief what my real apprehension and fear is, a Bill like this, once it is passed even unanimously by this House, with all our support, we are not actually finding solution to the problem that you are trying to solve. I am sure the Minister and his officers are consulting the best legal minds.

What, in effect, is this Bill? This Bill says, one — if I read the Bill in totality — there is a Municipal Corporation law which provides for demolition of unauthorised structures, which provides for sealing of unauthorised structures which provides for sealing of structures which are misused; that will continue to operate; that law is not overridden. This Bill says, to re-study the Master Plan and the whole concept of planned development of Delhi, as to how to clear the mess of the last so many years which have come, we need one year and, therefore, in one year, we will find a solution to mixed land-use, to the persons living in *jhuggi-jhonpris,* to contruction which is beyond the sanctioned plan, etc.; we need a one-year period. What do you do during that one-year period? During that one-year period, and my fear, really - I am sure the Minister will take note of this — is about Section 3 of sub-section 2 of this Bill, and that says, with the amendment which has been proposed by the Lok Sabha, "Subject to the provisions contained in sub-section (1) and notwithstanding any judgment, decree or order of any court, *status quo* as on 1st January, 2006 shall be maintained in respect of

Ostensibly, the purpose of the Bill is noble. The purpose of the Bill is that there is a 30-40 years mess which has been created and we need to sort it out; we need to help people out from this miserable situation; we need a little breathing time to clear this mess out and, therefore, till then, we willl not demolish anything or seal anything. But, in the process, we must do it in a manner that it is sustainable. We cannot do it in a manner which appears to be an eye wash. We cannot do it in a manner which becomes *prime facie* unsustainable. We pass a law and then we suddenly realise that the constitutionality of the law runs into serious forms of trouble. We may sit here and share Mr. Jai Prakash Aggarwal's anger and say we are angry with the court; but then they will do their job of determining the constitutionality. Let me say what, in effect, will be the effect of this sub-clause (2).

Sir, the Constitution of India has divided the powers of various organs of the State. We, as legislatures have our own powers. Courts have their own powers. You have constitutional courts created by the Constitution. Those constitutional courts have powers under Articles 32 and 226, which are constitutional power. When Articles 226 and 32 were introduced in the Constituent Assembly, Dr. Ambedkar had said that these were the Articles which were the soul of the Constitution; without these, the rest of the Constitution will become meaningless because there will be no enforceability of the other provisions. Now, courts, in pursuance of that jurisdiction, have passed certain orders, or, in the course of the next one year, till 31st December, 2006, may pass some more orders; you have not suspended the municipal law; you have not suspended the Master Plan; you have not suspended the sealing power. So, the courts will continue to act and pass their orders. Effectively, whatever orders courts now will pass under Article 32 and Article 226, for a period of one year, will remain inoperative. Are we, therefore, trying to suggest that we have chosen a legal course by which the constitutional jurisdiction of the constitutional courts in relation to municipal matters of Delhi will remain suspended for a period of one year? If that is the course we have chosen, there will be serious question marks and doubts created whether this is the correct course we have followed.

What then is the correct court? The correct course is known to any student who studies this subject. If courts have given judgments which we disagree with, Parliament does not have the power say, in one line, that the judgment stands overruled. 'The separation of powers.principle' does not permit that. But Parliament is empowered to say that the basis on which the judgement was given, the foundation of that judgement, was a certain law; we change that law and since the basis and the foundation of that judgement is gone, the judgement itself is gone. That is legally the

correct way of doing it. What this law does is, it does not do anything to the Master Plan, the sealing power, the demolition power; it allows them to exist, but merely says courts orders enforcing that power will not be operative for a period of one year.

So, you don't change the basis on which the Supreme Court had decided, or, the High Court had decided, or, the High Court had decided those cases. All you are doing is, by a one line order you are saying, 'the constitutional jurisdiction of courts will not apply to the municipal matters of Delhi for a period of one year'. Sir, as I have said, I would urge the Minister, I have personally also told him, to have a re-look at the matter. As far as my party is concerned, if you are endeavouring seriously to find a solution, as I said, this is not a problem which you have created, you have inherited this problem, you are trying to sort this mess out, we will be one with you even in this effort, though we have serious doubts about the validity of this method. But, this method may eventually become very short-lived, and really not very sustainable. Therefore, I would urge the Minister, while supporting the Bill he has moved, to seriously reconsider the legal course of correcting the problem that he is faced with because this solution may actually land him in a problem which may be of a larger magnitude, and no amount of anger which Mr. Jai Prakash Aggarwal and I may express against the court will be of any help. Just as we will continue to legislate, they will say, 'we are continuing to protect the constitutional authorities under our powers of judicial review'. We require statesmanship both in the judicial institution and the parliamentary institution, for both institutions to coexist. One's anger against the other is not the solution. And, therefore, I would again urge the Minister, while supporting his effort, to kindly re-consider whether he has followed legally the correct course which can be sustained before other authorities also. Thank you, Sir.

श्री अवनि राय (पश्चिमी बंगाल): सर, सदन में इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, दोनों ने जब दिल्ली से इंडस्ट्रीज़ हटाने की बात की थी, तब भी हम लोग वर्कर्स के बारे में चिल्लाए थे। At that time, nothing had happened here in Delhi, when all the industries went back to far off places. At that time, we shouted a lot here for the people who were working in those industries. But, nobody listened to our voice. Now, this time, once again, the Supreme Court has given some order, and we are discussing about that in the House. We are very much worried about the slums and other things. Do you know how the slums have come up there? I think, many of the Members who have been living in Delhi know that in the Gole Market area, while the buildings were being

Delhi know that in the Gole Market area, while the buildings were being constructed after demolishing the hutments, workers wee required for construction of those buildings. Those workers built those buildings and started living in nearby places, which later developed into slums. You have not done anything for those slum-dwellers. Similarly, this thing happened at other places also. If we don't solve their problems, whether they are in Delhi or,—my friend has also mentioned about Mumbai—in Chennai and in other urban areas,—we will continue to face this problem. The same thing is there in all these places. The Government is not thinking for these slums at all; the Government is not thinking about the poor workers also. We have to think in terms of having a proper Master Plan for them. Once again, you are talking about the Master Plan of the DDA. Every Member has mentioned how these buildings have become commercial buildings, and in what manner it has been done, and in what manner the DDA is making shops and other things. If a person manages to get a small shop here, you give him permission for a sweet-meat shop, *i.e., methai ki dukan.* That poor fellow has no place, except this shop where he can prepare his food. So, he starts doing some unauthorised construction in that shop. In due course of time, when the new markets come up, you give permission for construction up to second floor. So, they are once again coming up in ground floors and so on. So, if you don't go through the activities of the DDA, how they are doing this thing, how they have done it, you are not going to solve this problem. In addition to this, at the same time, another problem has arisen because the Government is not building any Government quarters. The people who come here in search of Government job or private job, they need some residential flats. And many unauthorised constructions have come up in Delhi for accommodating them, or people have indulged themselves in expanding DDA flats -- MIG flats, LIG flats. Like this, it is going on—encroachments and encroachments. So, we have not realised the fact: What really has happened in Delhi, what really has happened in DDA and what is the actual need for it. So many master plans are there. Today, whatever be the master plan, the work is not done in a civilised manner. Here, after demolishing or disturbing the business houses, and so on, at many places—Aggarwalji was mentioning Chandni Chowk and Sadar Bazar, Karol Bagh, Sarojini Nagar, Lajpat Nagar, Kalkaji, etc.— how have they come up? And why? These are the resettlement colonies. People are not doing their jobs. They are making shops inside their homes, and so on. You have to realise all these problems before finding out a solution. I think this Government should think of the young people's employment if you really

and not the vigilance that you have. They are doing all these things; they are allowing these things; and, at the time of demolishing, they keep silent! On many occasions, I would like to say that the DDA, the MCD and the local police are doing all these things. You see how they evacuate slum-dwellers; they evacuate them even by burning their small places. These slum-dwellers are rag pickers or those who pull rickshaws. Such people live there. You may remember how Seelampur area was evacuated. Just to mention I am saying that DDA, once upon a time, gave 25 yards to slum-dwellers. What moneyed men have done was, they have taken over hundred yards from them by giving them some money and they have evacuated them. That way, once again they have come on to the footpath or slum areas. So, all these things should be kept in mind.

I do not think you would be able to do it in a year; at the same time, do not try to keep in mind the elections after one year and do something on that basis. Also, do not consider it politically. Try to settle the matter in a better way keeping in mind what needs to be done for Delhi and other urban areas also. Thank you.

SHRI MANOHAR GAJANAN JOSHI (Maharashtra): Mr. Vice-Chairman, Sir, I am really thankful to you for giving me an opportunity to speak on a very important Bill from the point of view of the city of Delhi.

Sir, at the outset, I would like to support the Bill that is before us. My party supports the Bill only because it is in the interest of the poor people of the city. For the last several years, I have seen the people who stay in slums. I know their plight, I know their difficulties and, therefore, I have been always talking that for every social worker or for every representative of the people, it is his first duty to look at the interests of the poor people and, therefore, I am welcoming this Bill.

Sir, the question before us is whether this Bill is sufficient enough to achieve the goal that it has set. I personally feel that apart from the legality of the Bill which the hon. Member, Shri Arun Jaitley, has brought before us, I would like to request the hon. Minister and the Governent to consider, once for all, their approach towards mega-cities like Delhi, Mumbai, Chennai or Kolkata. I say so because I do not think that the action, which the Minister proposes to take in this particular case, is useful in the long run. I found in the Indian Express. dated 29th April, 2006, that when the hon. Minister requested the court for extending a time limit by six months to settle the matter, the court had said, "The Union Urban Development Ministry today came in for some strong criticism from the Supreme Court, which

refused to stop the ongoing sealings of unauthorised commercial outlets in residential areas.

The Urban Development Ministry had earlier pleaded that the sealings should be temporarily suspended for six months, during which it hoped to implement the new Master Plan allowing mixed land use. 'Sealing will go on,' ruled the Bench. That was not all. The Court also blamed a nexus between various departments, officers, those who govern, those who manage these and traders for the present situation.

Therefore, Sir, I personally feel that it is absolutely necessary that while discussing this Bill, we must be able to decide what do we exactly want. My question is very simple to the hon. Minister, whether we should frame laws and rules or their implementation in the interest of those tenants, those people who stay in the city by constructing the authorised buildings and by making payment of taxes to the Government regularly. In this particular cases, the petitioners were those residents who are law-abiding, and they were making complaints against those who had constructed unauthorisedly. I am really surprised when I see that some of the people always say that let anybody construct a house anywhere, even on the footpath or on the road, he should be protected and he should be safeguarded. Sir, I know that the Government may do these things today, but the future generation will find that the authorised structurs will not remain in the city. The whole city will be of unauthorised structures. That is what exactly has happened in the city of Mumbai. Sir, I must say that in 1968, I found that the datum-line in Mumbai was fixed for unauthorised construction and—I am talking of 1968—thereafter from time to time it was extended because of political pressures. Today also at least 50 per cent of the people in Mumbai city are staying in slums. A very simple question is, who is responsible for all this, who did it and why this was done. I know a very simple reason is given by the hon. Minister and everybody gives that reply that this is done because those people come from outside, they have no jobs, they have no residences to stay, and, therefore, they construct unauthorisedly and we are here to protect those who are not law-abiding citizens. Is this the thing that we want to do?

Is this the intention of this Parliament, to do a thing which is illegal, to support it? It is well known why we support it. We support it only because we are all interested in getting a number of votes. There is no other reason for bringing this Bill excepting for their appeasement and the court also said in the same words, 'the Appeasement Policy'. That is what the court meant. Sir, who made these problems? The problems are man-made. Let

me say it categorically that these problems are not the acts of God. We made the problems. If we wanted we could have resolved them. We would have been able to solve them and if we could not solve them it is because of our political interest. Threfore, after one year the Government is bound to come to Parliament and say, 'let us give them further one year'. If there are elections in between, I am sure, that no Government will dare to demolish these structures. Therefore, I always feel that cities become full of unauthorised slums only because of non-implementation of laws. We have enough weapons in our hand. We do not want to become strict. We do not want to become strict only on humanitarian grounds. No, we do not want to become strict only because we are dependent on them. Therefore, if the Committee is not given proper directives then forming such a Committee would be of no use. I have seen how it happens in other countries. It is the implementing authority, the executives, the officers, the principal officers, and the Government officers. Sir, these unauthorised structures would not have come unless those officers supported by political persons, take little bribe and put the whole city into difficulty. Is the Minister in his reply going to say that, "in this particular case, after a date which is fixed, if any unautorised structure comes up we will see that the concerned ward officer—ward officer means the officer of an area—and also the Inspector of Police will be seriously punished?" I am saying this because this experiment was also done by me. As a Chief Minister, I was holding the portfolio of Urban Development Minister and, therefore, in Mumbai we did it and the responsibility was fixed. Are you going to do it or not going to do it? Before this Bill comes into effect, I would like the hon. Minister to say that we are very strict about the unautorised constructions. We are going to give them only one opportunity and after giving this opportunity those who will construct and those who will support it, I am afraid, sometimes the municipal councillors, sometimes the Members of the Assembly and, may be, the Members of Parliament also go on supporting these structrues at the cost of those pepople who want to stay in the city by abiding all laws. Therefore, I find that this Bill as it stands, if it is for one year, firstly, let the Government vouch that after one year there won't be an extension; and secondly, during this year also if somebody constructs unauthorisedly, it will be a criminal offence. If you make it and if we all decide that we want our cities to be good cities, it can be done. Sir, only one example I want to give about the city of Beijing. The city was full of unauthorised structures. They made strict laws and, particularly, in the interest of town planning they made the laws so strict that today you will not find slums in the city. The slums are very rare. Not only this—I am giving you an illustration of

China—but even in other cities we find that unauthorised, illegal works are going to be tolerated and we are feeling that we are doing something great. It is not doing great. As a matter of fact, the Government must first apologise for allowing these types of unauthorised constructions and thereafter, they can suggest that on humanitarian grounds we want to help these people and we are prepared to help them and this can be done.

Sir, I have only two suggestions to make. The first suggestion is: unauthorised structures that exist today should be strictly checked. I have no doubt in saying that a number of people from Bangladesh are staying in these unauthorised structures. Are you going to give them houses though they have come here illegally? Do you know that we help these people living in these types of slums on humanitarian grounds, but they become danger to the country? And, therefore, it is not that everybody's house should be regularised. He may be poor. But, he must be an authorised citizen to our country.

Lastly, I think, the law should not be meant only for the city of Delhi, but it should be a national policy. All big cities should be included and once and for all a national policy should be formulated. And, I am sure, such a national policy will help the other big metropolitan cities and also the number of Municipal Corporations. With these words, I conclude. Thank you very much, Sir.

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): Hon. Vice-Chairman, Sir, I am speaking on this Bill because I have given a notice on this subject.

Sir, I rise to support the Delhi Laws (Special Provisions) Bill, 2006, moved by the hon. Minister of Urban Development. I thank him for bringing this Bill so that the chaos, confusion and the kind of panic among the people of Delhi that has existed for more than six months will now die down and there is a ray of hope for the people of Delhi that their wishes and aspirations—as far as buildings are concerned—will be fulfilled. I heard some of the hon. Members. It is not a political issue. As far as illegal, unauthorised constructions, encroachment of Government lands in Delhi, pavement dwellers and businessmen occupying unauthorisedly the public premises are concerned, it is all being inherited for a long time. Now, all of a sudden, after the court's judgment, the Central Government and the State Government of Delhi have to intervene to set the things rights. I would like to remind a point to this august House. As far as Delhi is

would like to remind a point to this august House. As far as Delhi is concerned—it is immaterial whether it is the Congress Party or the BJP—whenever elections take place, the first thing that they mention in their election manifestoes is, 'As soon as we come to power, we will regularise the unauthorised colonies.' It is irrespective of political parties. Once they come to power, this promise will be put in the cold storage. And, ultimately, the people, who have been emboldened by their promise, construct unauthorised structures with the hope that one-day-or-the-other they would be regularised. Sir, there are more than 800 unauthorised colonies in Delhi. Of course, there are conflicting figures that 80 per cent of the constructions *i.e.*, about 34 lakh houses out of 40 lakh hourses, have taken place unauthorisedly or illegally. There are urban slums and, thereafter, there are business premises where unauthorised constructions are carried out. The people who have a house construct unauthorisedly by encroaching upon the Government land and, sometimes, they also violate the Building By-Laws and construct three/four-storied buildings. And, above all, the builders encroaching upon the Government land are making money out of it. Sir, the builders are flourishing in Delhi for the last ten to fifteen years by encroaching upon the Government land by using the official machinery and political personalities and they have been making hay in Delhi.

Now, after the judgement of the court, it has become necessary for the hon. Minister to intervene. Ultimately, after trying various methods to resolve the issue, the hon. Minister has provided relief, at least, for one year. Within one year, the hon. Minister wanted to resolve the issues of mixed land use not conforming to the Master Plan, the construction beyond the sanctioned plans, and encroachment by slum and *jhuggi-jhonpri* dwellers. I would like to have clarification on one provision, which is very vague; and, it is this. Clause 3, sub-clause (1) says, "Notwithstanding anything contained in any relevant law or any rules, regulations or bye-laws made thereunder, the Central Government shall within a period of one year of the coming into effect of this Act, take all possible measures to finalise norms, policy guidelines and feasible strategies to deal with the problem of unauthorised development with regard to the under-mentioned categories, namely:— (a) mixed land use not conforming to the Master Plan; (b) construction beyond sanctioned plans; and (c) encroachment by slum and *jhuggi-jhonpri* dwellers..." This is a very vague provision. I would like to know from the hon. Minister what concrete measures he is going to take because there is a court judgement with regard to this. It is not going to be reprieve for one year. When the hon. Minister brings a Bill, the Government should evolve a policy, and that policy will have to be implemented within

the period of one year so that they satisfy the observations made by the court in the judgement. Since we cannot go beyond the court judgement, the hon. Minister has to see, within that framework, how relief has to be given to the genuine people. Secondly, how is the Government going to deal with the people who have been occupying the Government land? I am mainly concerned with the slum dwellers in Delhi. If they are removed from that unauthorised occupation, what measures the Government is taking to give them alternative accommodation to those people? That is very important because nearly 35 to 40 per cent of the people, living in the slums in Delhi, have to be given alternative accommodation by the Government. It is the responsibility of the Government. You cannot simply wash off your hands by saying that you have removed the illegal occupation and removed those people. You allowed them to occupy those places, whether it is Delhi; whether it is Mumbai; or any other place. It is the duty of the Government to see that those people are given alternative accommodation, otherwise there will be another chaos, on this issue, after one year.

Now, Sir, I come to the commercial buildings that have come into existence in the *lal dora* areas. I had put a question in this august House. It was unstarred question No. 2837. The question was: Whether it is a fact that the Municipal Corporation of Delhi has carried out demolitions at preoperties No. 1 and 2, M.G. Road, declaring them as unauthorised and illegal constructions. If so, who were responsible for these illegal constructions? The hon. Minister had conveniently avoided to reply the second part of the question. He has replied that the Municipal Corporation of Delhi has reported that the properties at No. 1 and 2, M.G. Road, constructed by M/s Grand Estates (Pvt.) Ltd. and by M/s Prakash Infrastructure Systems, Delhi respectively, have been demolished as they were unauthorised constructions. The second part of my question was: Who were responsible for these illegal constructions? The reply by the hon. Minister is very bureaucratic. This part of the question was not replied. Sir, in the border areas very big buildings are coming up and nobody checks them. They say that it is not covered under their rules and guidelines. So this was the reply that I had received.

Sir, there is one more issue on which I wanted to know this point from the hon. Minister. Since the MCD also comes under the purview of the hon. Minister. I would like to know this from him. Regarding the restructuring of the DDA, the MCD and the NDMC, I raised a Special Mention in this august House. Then, they said that they had appointed a committee under

5.00 P.M.

the Chairmanship of Shri Ashok Pradhan, a retired IAS Officer; they would go only for retired IAS officers and to suggest ways and means for restructuring those three organisations, they would submit a report. This has been stated in this august House. Sir, the Government should have a clear cut policy because now the entire blame is on the Delhi Government. The Delhi Government is being blamed. The people of Delhi are blaming the State Government. Sir, it is the collective responsibility of the Urban Development Ministry and the State Government. Since the hon. Minister is now getting one-year time, we should not think that it is only for the purpose of burying time. It is a feeling coming in the minds of the hon. Members. Sir there should be a concrete policy by this Government; by the Government of India and also by the Delhi Government. I appreciate the hon. Minister of State for Urban Development who has clearly said that illegal construction should be removed and in respect of unauthorised construction, wherever possible, those people who have been genuinely occupying the places should be given relief.

Sir, in Delhi, there are residential buildings and the commercial use of those buildings has been going on for years together. How can you overnight say that there should not be any commercial activity in a house? Sir, I will give one example. A person who lives on the second floor does business of the groung floor. Therefore, Sir, he is helping the Government by not using his vehicle because he is living there itself. The parking problem is not there. He is not travelling for long. He is living on the first floor or on the second floor and he is doing business on the ground floor. Why is that not being considered? Sir, the lawyers have their offices; small offices there. They say that you should not have an office there. In case of a doctor, they say that you should not have a consultation room there. It is impracticable I would like to submit to the hon. Minister that these are the issues that you have to address. People who have been living there for years together are doing business on the ground floor or on the first floor and living on the second floor. How can you tell them overnight that you should not have business in that area? These are the real issues which the hon. Minister has to address now the care issue is that the hon. Minister has to categorise the unauthorised construction. You will have to help the genuine people. You should take tough measures against people who are having illegal constructions by violating all norms. There is encroachment on the Government lands. The hon. Minister should consider that. Encroachments should be removed. People who are living in the slum areas should be given proper protection and places to live. These are the important things which you have to address. Bringing a Bill, getting one

year and, thereafter, coming to this House for another year, is not going to solve the problem of the people of Delhi. I am grateful to the hon. Minister that Rs. one lakh crore have been allotted for the Jawahar Lal Nehru Urban Renewal Mission. Delhi should be given more funds for the purpose of providings the basic infrastructure to all those people. There are people doing business on the pavement area. What are you going to do about them? People are living on the pavement. What are you going to do for them? Therefore, it should be comprehensively addressed by the Hon. Minister. I emphasise that the people living in the urban slums should be given proper protection by this Urban Development Ministry and the Delhi Government. With these words, I support the Bill.

श्री तरलोचन सिंह (हरियाणा): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी और माननीय राज्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और खासकर अपोजिशन पार्टी को भी धन्यवाद देता हूं क्योंकि उन्होंने भी आज सरकार को पूरा सहयोग दिया है और बेस्ट पॉसिबल सोल्युशन रखा है। मैं यह अर्ज भी करना चाहता हूं कि आज जितनी डिबेट हुई है, उसमें सबने सोशल जस्टिस और अभी दिल्ली में जो तोड़-फोड़ हुई उसका जिक्र किया है। माननीय अग्रवाल साहब दिल्ली शहर के रहने वाले हैं। हम सब यह भूल गए है बेचारी दिल्ली का भी किसी ने ख्याल रखा कि दिल्ली शहर का क्या होगा? अभी यहां बताया गया कि इसकी पॉपुलेशन एक करोड़ पचास लाख है। जिस तरह यह स्पीड चल रही है और जैसी popular feeling हैं, उसके हिसाब से 2 करोड़ आबादी की प्लानिंग हमें आज ही कर लेनी चाहिए। मैं सिर्फ एक मिसाल देता हूं कि लाहौर शहर की आबादी 85 लाख की है। मैं अर्ज़ करुंगा कि मंत्री जी उस शहर को देखे, उस शहर में न रिक्शा है न तांगा है। वहां भी तो popular feeling थी, लेकिन उन्होंने उस शहर को डिस्टर्ब नहीं होने दिया। सारा लाहौर शहर, आज से 400 साल पहले जैसा था, वह उसी तरह आज भी कायम है। उसमें एक भी मल्टी स्टोरी घर नहीं बना, न वॉल-सिटी के गेट तोड़े गए, बल्कि सारे शहर को intact रखा गया। यहां पुरानी दिल्ली का क्या हाल है? वहां भी तो सरकार है, यहां भी सरकार है, लेकिन हम भूल जाते हैं हमने अपने शहर का क्या हाल कर दिया है। उन लोगों ने तो flyover तक allow नहीं किए, नीचे से allow कियें हैं,क्योंकि flyover भी शहर की beauty को डिस्टर्ब करता है। यहां पर चांदनी चौक लें या किसी दूसरी जगह को लें, सब जगह आपने मल्टी-स्टोरी allow किया है और सारा जो original city है, उसको हमने तोड़ दिया है। महोदय, आपने अभी बताया कि झुग्गी clusters की तादाद एक हजार से ज्यादा है, unauthorized colonies जो 1,200 के करीब हैं, इन पर तो आप लिमिट लगाओ कि आज के बाद कोई झुग्गी या unauthorized colony नहीं बनेगी। हम यह करते हैं कि 5 साल इलेक्शन तक alllow करते है जब इलेक्शन हो जाता है, उसके बाद कहते हैं आज के बाद नहीं। इस तरह करते-करते 20 सालों में कितनी colonies बढ़ चुकी है। इस बिल में कहीं तो आप ऐलान कीजिए कि आज के बाद दिल्ली में कोई झुग्गी नहीं बनेगी। बीजिंग शहर में 1985 के बाद बीजिंग की पापुलेशन बढ़ने नहीं दी गई और कोई outsider बीजिंग में आकर घर नहीं ले सकता। आप सिंगापुर की भी मिसाल देखिए, लेकिन यह चाहे वोट बैंक

कहिए, चाहे हमारा सोशल जस्टिस का नारा कहिए, हालत यह है कि हर रोज जितनी मरजी colonies बना ले। मेरी आपसे यह विनती है कि एक मल्होत्रा कमेटी बनी थी, उसमें श्री जगप्रवेश चन्द्र और दूसरे लोग थे। बड़ी मेहनत के बाद उन्होंने दिल्ली के लिए एक रिपोर्ट दी थी, लेकिन दिल्ली सरकार ने उसको बिल्कुल ignore किया उसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए।

महोदय, डॉक्टर, लॉयर और आर्किटेक्ट, इनके लिए हर शहर में अपने घर से काम करने की छूट है, लेकिन यहां तीनों को निकाला जा रहा है और इनकी प्रॉपर्टीज सील की गई हैं। Sanik Farm सबसे अच्छी कालोनी बनी, लोगों ने चाहे जैसे भी बनाई, फिर सरकार ने allow किया। अब आप unauthorized झुग्गियों को तो हटाने की बात कर रहे हैं, लेकिन Sanik Farm की तरफ कोई अंगुली उठाने को तैयार नहीं है। सबसे पहले वह आर्मी को एलॉट हुआ था। चूंकि वे बड़े Farm है, इसलिए इनके बारे में सरकार चुप है।

महोदय, हमारे यहां पार्किंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन सरकार ने इसके लिए कुछ नहीं किया है। मैं एक मिसाल देता हूं कि सिक्खों का एक गुरूद्वारा है- बंगला साहब, वहां लाखों लोग जाते है। गुरूद्वारे वालों ने खुद अपने खर्च पर अब underground parking बनाई है। अगर वे बना सकते हैं, तो हम colonies वाले jointly हर जगह पार्किंग क्यों नहीं बना सकते ? असल में यह पार्किंग प्रॉब्लम इतनी बढ़ चुकी है कि बड़ी-बड़ी colonies में रात को लड़ाइयां होती हैं कि कारें कैसे लगाई जाएं।

महोदय, मैं एक और विनती करूंगा कि जो religious places हैं, उनके बारे में हरेक की sentimental approach होती है। जब ये तोड़े जाएं, तो इनको तोड़ने से पहले कम से कम उस कम्युनिटी के लोगों के साथ मशविरा किया जाए, वरना इससे झगड़ा और बढ़ता है। उस झगड़े को रोकने के लिए सरकार पहले से इनकी लिस्ट बनाए और फिर उचित कार्यवाही करे।

महोदय, आखिर में मैं यह कहूंगा कि आप जो रिलीफ देने जा रहे हैं, उसमें आप उनका ध्यान जरूर रखिए, जिनके मकान और घर टूट चुके हैं। उनको इस बिल में आपने क्या रिलीफ दी है? कहीं ऐसा न हो कि जिन्होंने affidavit दे दिया, वे तो बच गए, लेकिन जो बेचारे खड़े रहे, उनका नुकसान हो गया। इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री धर्म पाल सभ्रवाल (पंजाब) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं इस दिल्ली विधि विधेयक, 2006 के समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूं। पिछले 6 महीनों से दिल्ली जल रही थी, दहल रही थी, लोग डर के मारे रात को सोते नहीं थे कि पता नहीं किस समय हथौड़ा...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIAN): Please take only five minutes,

श्री धर्म पाल सभ्रवाल: मैं 5 मिनट के अन्दर ही खत्म करूँगा। दिल्ली ही नहीं, बल्कि जब दिल्ली में इस तरह का माहौल था, तो बाकी प्रदेशों में भी, क्योंकि दिल्ली हिन्दुस्तान का दिल है

और हिन्दुस्तान के लोग हर प्रदेश से आकर अपना छोटा-मोटा व्यापार कर रहे हैं और जब किसी का व्यापार, किसी का काम ही खत्म हो जाता है, तो उसका एक किस्म से अपनी भूख मिटाने के लिए पड़ जाते हैं कि मैं अपने परिवार का पालन-पोषण कैसे करूँ। उनके जो रिश्तेदार अलग-अलग प्रदेशों में थे, वे भी बड़े परेशान थे, दुखी थे कि दिल्ली में कैसा माहौल बन रहा है। यह मंत्री जी के लिए बड़ी जटिल समस्या है। ऐसी जटिल समस्या का जो जन्मदाता है, वह करप्शन है, घूसखोरी हैं वा ब्यूरोक्रेट्स, वे अधिकारी जिन्होंने उनको अवैध निर्माण बनाने के लिए इजाजत दी, जिन्होंने इस जटिल समस्या को जन्म दिया, उन लोगों की शिनाख्त करनी चाहिएं आज हम सभी हाउस में इस बात से चिन्तित हैं कि एक तरह से देखा जाए तो आज हम उन अवैध निर्माणकर्त्ताओं के पक्ष में बात कर रहे हैं, दुख कर रहे हैं, लेकिन वे लोग, जिन्होंने पैसा लेकर अपनी आमदनी से ज्यादा जायदाद बना रखी है, उन लोगों की भी शिनाख्त करके देखना चाहिए।

उपसभाध्यक्ष जी, इस दिल्ली में ऐसे इदारे चल रहे हैं, जिनका करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ है। जहाँ लोगों का, व्यापारियों का नुकसान हुआ है, वहाँ पर सरकार का भी बहुत सारा नुकसान हुआ है। मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं बोलना चाहता । मैं मंत्री जी से यह आग्रह करुंगा, विनती करुंगा कि इस बिल को बनाते समय कुछ चीजों का ध्यान रखें। महोदय, दिल्ली में दो किस्म की दुकानें और व्यावसायिक इकाइयाँ और व्यापार चल रहे हैं। लगभग 15 से 20 प्रतिशत ऐसी इकाइयाँ विशेष रजिस्टर्ड (पंजीकृत) योजना 1994 के अन्तर्गत नॉन-कंफर्मिंग क्षेत्रों में चल रही हैं, जो कि दिल्ली नगर निगम एक्ट, 1957 के अन्तर्गत तदर्थ पंजीकृत हैं। जो इकाइयाँ तदर्थ पंजीकृत प्रमाणपत्र के अधीन चल रही हैं और जो दिल्ली नगर निगम से लाइसेंस लेकर चलाई जा रही हैं, उनके प्रति सरकार का क्या विचार है? इसके बारे में मंत्री जी को ध्यान रखना चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी से इन पंजीकृत व्यावसायिक इकाइयों के बारे में आश्वासन चाहता हूँ कि वे इस विधेयक में स्पष्ट करें कि ये इकाइयाँ उच्चतम न्यायालय के निर्देश से बाहर हैं। ऐसा करने से हजारों छोटे व्यापारियों को राहत मिलेगी।

महोदय, डीडीए और एमसीडी केवल 16 प्रतिशत व्यवसाय-व्यापार की जरूरतों को दिल्ली में पूरा कर सकी है, जबकि दिल्ली की आबादी पिछले दो दशकों में डेढ़ करोड़ हो गई है। इसी कारण से लोगों ने रिहायशी और नॉन-कंफर्मिंग क्षेत्रों में छोटे-छोटे व्यापार खोल रखे हैं। दिल्ली में कॉमर्शियल सेंटर्स और बाजारों की काफी कमी है। पहले मास्टर प्लान में 15 डिस्ट्रिक्ट कॉमर्शियल सेंटर्स बनाने का प्रावधान था, लेकिन अभी तक सरकार केवल 3 सेंटर्स ही बनाने में कामयाब हुई है।

महोदय, मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशों को मद्देनजर रखते हुए कुछ सुझाव देता हूँ। सबसे पहले सरकार तदर्थ पंजीकरण में चल रही इकाइयों को मान्यता दे। ये इकाइयां सरकार को व्यवसाय चलाने के लिए दिल्ली नगर निगम एक्ट, 1957 के अधीन लाइसेंस फी दे रही हैं। सरकार उन सब दुकानों को मान्यता दे जोकि भूतल में हैं और जहां पार्किंग व्यवस्था उचित है। सरकार मिक्स्ड लैंड यूज की स्वीकृति रिहायशी इलाकों में देने का प्रबंध करे। ऐसा न करने पर बेरोजगार लोग परिवार पोषण तथा पेट की आग बुझाने के लिए क्राइम करने पर मजबूर हो

जाएंगे। मैं माननीय मंत्री जी से सिफारिश करूंगा कि बिल्डिग बाई लॉ में संशोधन कर उन सब व्यावसायिक व्यापार और इकाइयों को मान्यता दें जोकि भूतल से चल रही हैं। ऐसा करने से लाखों लोगों को राहत की सांस मिलेगी और लोग अपने रोजगार के जरिए परिवार चला पाएंगे।

मैं आशा करता हूँ कि इस विधेयक में ऐसा प्रावधान किया जाएगा ताकि जो लोग सही ढ़ग से चल रहे हैं, उनको कोई नुकसान न हो और जो अवैध भवन बने हैं, जिन के कारण रास्ते के फुटपाथ पर चलना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, ऐसे अवैध निर्माणों के बारे में सख्ती से काम लें और एक साल के अंदर दिल्ली का जो निर्माण हो वह बहुत खूबसूरत हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप ने मुझे इस अहम समस्या पर बोलने का अवसर दिया।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल: सर, भाषण नहीं दूंगा, सिर्फ एक शेर पढ़ना चाहता हूं। सिन्हा साहब नहीं हैं, सिर्फ एक शेर के मार्फत अपनी एक बात कहना चाहता हूं:

"यूं तो सलाम करना वाजिब है जरूर,

मगर इतना न झुको कि दस्तार गिर जाए।"

सिन्हा साहब नहीं हैं जो बात कोर्ट के बारे में उन्होंने कही थी, यह बात उन तक पहुंचा दें।

श्री रुद्रनारायण पाणि (उड़ीसा): सर, दिल्ली के राहिणी इलाके में हमारे जगन्नाथ मंदिर को गिराया गया, उस के बारे में मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

उपसभाध्यक्ष (प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन): नहीं, प्लीज।

श्री रुद्रनारायण पाणि: महोदय, दिल्ली के रोहिणी इलाके के सेक्टर 15 में...

उपसभाध्यक्ष (प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन): बैठिए-बैठिए, प्लीज।

श्री रुद्रनारायण पाणि: बहुत बेरहमी से हमारे जगन्नाथ मंदिर को गिरा दिया गया।...(व्यवधान)... जैसे कहा गया कि मुआवजा दिया जाएगा।

उपसभाध्यक्ष (प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन): बैठिए-बैठिए, प्लीज।

श्री रुद्रनारायण पाणि: वह 80 साल पुराना मंदिर है। हमारी भावना की बात है।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIAN) Mr. Minister, please. Mr.Minister, please.

श्री रुद्रनारायण पाणि: यहां हमारे उड़ीसा के आठ लाख लोग हैं।

उपसभाध्यक्ष (प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन): बैठिए-बैठिए,

श्री रूद्रनारायण पाणि: हम एक गरीब प्रदेश से आए हैं। आप उन को शेर सुनाने देंगे तो उससे क्या होगा?

उपसभाध्यक्ष (प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन): अब बैठिए। मिस्टर पाणि प्लीज।

श्री रूद्रनारायण पाणि: वह मुआवजे के बारे में बोले, मैं उन को धन्यवाद देता हूं।...(व्यवधान) वह कोई अवैध निर्माण नहीं था। उस जगह पर दोबारा जगन्नाथ मंदिर बनाने की व्यवस्था कराइए।

THE VICE -CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIAN: please, don't do like this.

श्री रूद्रनारायण पाणि: वह अवैध निर्माण नहीं था।...(व्यवधान)... वह निगम बोध घाट के बारे में बोले।...(व्यवधान)... यह भावना की बात है। वह 80 साल पुराना मंदिर है। आप जाकर देखिए कहीं पर भी इनक्रोचमेंट नहीं है, लेकिन दिल्ली के रोहणी के सेक्टर 15 के हमारे जगन्नाथ मंदिर को अवैध रूप से गिराया गया।

THE VICE -CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIAN): Only what Minister says will go on record...(*interruptions*)... That will not go on record. Now I have called the Minister.

SHRI S. JAIPAL REDDY: Mr. Vice-Chairman, at the outset, I must thank all the hon. Members of Parliament who have participated in the discussion and made well-considered, constructive suggestions. I must thank every body, from all sides of the House, including the main Opposition, for having lent support to this Bill. I thank Shrimati Sushmaji for lending support. But while lending support, she kicked up dust of partisan contention. Therefore, I am obliged to set the records straight.

Sir, this crisis, huge as it is could have been avoided if the NDA Government had finalised the Master Plan Delhi 2021 when it was in power for six onlg years. (*Interruptions*) No, I am referring to Master Plan Delhi, 2021. This could have been done during your period. I must also draw your attention to another thing.

[MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair]

There was a Committee appointed by the Government of Delhi which had Prof. Malhotra and Late Pravesh Chandra, which made recommendations to liberalise the situation in Delhi. The NDA Government rejected the recommendations in a merciless manner. The then Minister, Mr. Jagmohan, distained the recommendations. If only the NDA Government

were more perspicacious, more compassionate, this situation might have been avoided. Sushmaji said, "Why could the Ordinance not be promulgated?" As I have said elsewhere, I need to repeat that the situation then was evolving. You may kindly note that both the Houses of Parliament were adjourned *sine die* on 23rd March, But, as early as 5th April, Parliament was sommoned again to meet on 10th May. So since 5th April, after the Parliament had been summoned, the option of Ordinance was not open to me.

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ: One House could be prorogued because the rule is that if either of the Houses is not in session, you can bring the Ordinance. One House could have been prorogued.

SHRI S. JAIPAL REDDY: Notices had been issued. Therefore, we were advised by the legal authorities that Ordinance route was not open to us. Then, she said that the Bill could have been brought earlier. After all, the other House worked only on Friday. We have got the Bill passed there and we could not have come earlier than Monday. It is obvious. I am, however, thankful to them for having facilitated this process. But, I am only trying to mention this to say that we were not guilty of any delay or dithering in the matter.

DR. MURLI MANOHAR JOSHI (Uttar Pradesh): Mr Reddy, you said that the House was adjourned, this and that. Perhaps, your Government was more busy in saving the Office of Profit issue rather than saving the demolitions in Delhi.

SHRI S. JAIPAL REDDY: Yes, while your party was busy losing deposit in Rae Bareily.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Let us not move from the main subject.

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: I may remind him of Kerala and West Bengal.

श्री उपसभापति: आप उसमें कहां जा रहे हैं? ...(व्यवधान)... दिल्ली की बात कीजिए, आप कहां-कहां जा रहे हैं? ...(व्यवधान)...

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: सर, मैं तो दिल्ली की ही बात कर रहा था, वे रायबरेली पहुंच गए। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर गए, तो रायबरेली गए। ...(व्यवधान)... अब वे रायबरेली गए, तो आप केरल जाते हैं। ...(व्यवधान)...

डॉ मुरली मनोहर जोशी: मैंने उनको कोलकाता और बंगाल की याद दिला दी। ...(व्यवधान)...

SHRI S. JAIPAL REDDY: In Delhi, we are facing an extraordinary situation. Millions of residents of Delhi are, rightly or wrongly, on the wrong side of law. Even as a Cabinet Minister, I may make bold to say that if millions of people in Delhi are on the wrong side of the law, there must be something wrong with the law itself. We are, therefore, facing a huge systemic crisis. You cannot set it right by saying that no irregularity will remain. It would be like Savonarola telling people of Rome 'I would rather burn down Rome than put up with sin'. I can't be Savonarola or Nadir Shah. Therefore, we need to realise that this is a problem which has developed over decades. Delhi was not built in a day; nor shall we allow Delhi to be demolished in a day. I agree with Mr. Arun Jaitley when he offered his analysis on situation in Delhi. But, I am afraid I can not share his legal pessimism. This Bill does take care of legal aspects adequately. I draw the attention of the House to Section 3 (1), "Notwithstanding anything contained in any relevant law or any rules, regulations or bye-laws made thereunder, the Central Government shall within a period of one year of the coming into effect of this Act, take all possible measures to finalise norms, policy guidelines and feasible strategies to deal with the problem of unauthorised development with regard to the under-mentioned categories" and so on and so forth. This Bill directs the Government of India and its agencies to perform certain tasks. The laws referred to in this section have been defined in the above sections. I am not getting into such detail. Therefore, in Section 3(2), we said 'subject to the provisions contained in sub-section 3(1)' and then I said notwithstanding any decree from the court. Therefore, I believe that legality of the Bill cannot be seriously questioned. However, this moratorium has been provided not only to provide relief to the affected, but to provide breathing time to the apparatus of the Government also. Having regard to the magnitude of the problem, we need time. This has been widely appreciated in this House. I am thankful to all sides of the house for this appreciation.

Jai Parkash Aggarwalji was wondering as to what would happen to those who have filed affidavits; whether the sealed shops will be de-sealed. I believe, once this becomes law, all the shops will be de-sealed and those who filed affidavits will not be affected even after the last week of June. This is our understanding. This is the understanding given to me by our law officers. The Supreme Court was only dealing with one aspect of the system, namely, shopkeepers. That is a very important aspect. There are nearly half a million shops, big medium and small. But, there are also

other categories of people who are equally huge, if not larger, in number, such as, slum-dwellers, hawkers and those people who, for compelling reasons, took recourse to some kind of unauthorised construction. Relief has to be provided to all these categories. Therefore, this Bill does not provide relief only to shopkeepers, but also to all the other categories.

As for slum-dwellers, Mr. Tarlochan Singhji is not here, I don't share his worldview. I don't think poor people can be wished away from our metropolises. I don't know whether we can follow the example of Labore or Beijing. We operate under different systems. Our system has its own strengths and weaknesses. Our strength is that we allow the poor to co-exist with the rich. It is not our weakness. Let the millionnaires wallow in the lap of luxury. But, we must remember, it is the people who come from slums that provide this lap. Without poor people, I don't think rich people can live comfortably on their own. This is the reality that needs to be kept in view not merely from the viewpoint of social equity, but from the viewpoint of dire necessity.

In this crisis also, I see a silver lining. I see a silver lining in this dark cloud. You can use this opportunity to set right the system, to set right the Master Plan, to look at Delhi from a news perspective. Earlier, the planners had their visions. There visions were wonderfully enshrined in their Master Plans. But they did not have adequate relationship to the ground realities. Now, the time of reckoning has come. While preserving the dreams, while promoting the dreams, we shall accommodate the harsh field realities as well. This crisis can be used with beneficial use. Since many Members were tempted to indulge in *sharo-shairy,* I may quote Shakespeare, and say, "Sweet are the uses of adversity, which, like a toad, though ugly and venmou, wears yet a precious jewel in its head." So, there is a precious jewel in today's dismal situation in Delhi. We need to remind ourselves of these positive potentialities.

Sir, references have been made to unauthorised colonies. There are as many as 1400 unauthorised colonies in which more than two million people live I have already taken steps to get these unauthorised colonies regularised. I have moved a Cabinet Note in this direction. Hawkers' policy is in place. You cannot, with a magic wand, banish hawkers from Delhi, because they are obstructing some streets. They are running into lakhs of people. We need to accommodate them in a more orderly fashion, and we shall do so.

I want to tell Mr. Prasanta Chatterjee, Mr. Azmi, and Prof. Ram Deo Bhandaryji that we shall never neglect the needs of the poor. As I said before, the poor are required for the service of the rich as well.

Some references have been made to the collusion between those who are indulging in irregularities and the engineers and staff members.

श्रीमती सुषमा स्वराज: उपसभापति जी, मंत्री जी बार-बार जो बात कह रहे हैं, वह उनकी सामंतवादी प्रवृति को दर्शाती है। हम लोग सुन रहे हैं बैठकर, अब दोबारा उन्होंने रिपीट किया। क्या वे कहना चाहते है। कि अमीरों की सुख-सुविधा के लिए गरीब जरूरी है? मुझे तो लगता है। कि शायद उनके विभाग में पावर्टी ऐलिविएशन भी आता है। लेकिन अगर उनका दिमाग यह कहता है कि गरीब जरूरी हैं? अमीरों की सुख-सुविधा के लिए तब वे क्या पावर्टी एलीविएशन करेंगे। हम यहां बैठ कर बार-बार यह इम्पीरिलिस्टिक बयान, यह सामंतवादी बयान सुन रहे हैं कि अमीरों की सुख-सुविधा के लिए गरीब जरूरी हैं, अमीरों की सुख-सुविधा के लिए गरीब जरूरी है। तब तो आप इस देश मे गुरबत को बनाए रखिए क्योंकि अमीरों की सुख-सुविधाओं के लिए गरीब जरूरी हैं। यह क्या भाषण है? यह क्या सोच है? यह क्या सोच और भाषण है? आप शेक्सपीयर को कोट कर रहे है। मुझे सच में यह समझ नहीं आया, पहले तो मैंने सोचा कि मैंने गलत सुना है, लेकिन अब दोबारा उन्होंने रिपीट किया है।

श्री उपसभापति: अब हम उन्हें समझाएंगे।

श्रीमती सुषमा स्वराज: पहले मुझे लगा कि मैंने गलत सुन लिया, लेकिन अब यह उसी बात को दोहरा रहे हैं।

SHRI V. NARAYANASAMY: He is concerned with the poor people. ...(*Interruptions*)...

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: What a transformation of my friend, Mr. Jaipal Reddy, from a socialist to the market economist,

श्रीमती सुषमा स्वराज: कैपिटलिस्ट। अमीरों की सुविधा के लिए गरीब जरूरी हैं।

SHRI S. JAIPAL REDDY: Sir, it is difficult to awaken those who are pretending to sleep. ...(*Interruptions*)...

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ: That is why I am trying to awaken you. ...(*Interruptions*)...

SHRI S. JAIPAL REDDY: No, no. Anyway, we shall a have reasoned or heated debate, if necessary on this issue on another occasion but you

must know that while empathising with the poor, I am arguing with the advocates of the rich like you that poor are also necessary for you. That was the point I was trying to make. If you didn't understand ...(*Interruptions*)...

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: I am happy that now you are changing your interpretation. What we understood was (*Interruptions*)...you wanted to justify the existence of poor.

श्री उपसभापति : इंग्लिश और हिन्दी में प्रॉब्लम हो रही है ...(व्यवधान)...

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: You wanted to justify the existence of poor in order that the rich should live in comfort. That is the contention we contest seriously. Is this co-existence of poverty with richness? I think it is not in your Common Minimum Programme.

SHRI JANARDHANA POOJARY: He is regularising all the colonies.

श्रीमती सुषमा स्वराज: आप गुरबत को जस्टिफाई कर रहे है...(व्यवधान)... You are justifying the existence of poor for the comfort of rich people; for the comforts of rich, they are necessary.

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: सर, गरीब को गरीब कह कर पुकारना तो उनका अपमान है।

SHRI S. JAIPAL REDDY: Why don't you allow me to answer? (*Interruptions*)

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: The existence of poor is necessary for the comforts of the rich. I don't believe in this.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The Minister will reply.(*Interruptions*)

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: Sir, because there will be rich people, so both will live in comfort. So, poor people are necessary (*Interruptions*)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. That was not the intention.

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: This is unconstitutional. This is against the Constitution.

SHRI S.S. AHLUWALIA: This is an abuse.

श्रीमती सुषमा स्वराज: यह सामंतवादी सोच है। यह क्या है कि तुम गरीब हो गरीब बने रहो, हमारी सुख-सुविधाओं के लिए तुम्हारी जरूरत है?

SHRI S. JAIPAL REDDY: What is this? (*Interruptions*) you leave the matter to me. Why don't you let me explain?

श्रीमती सुषमा स्वराज: सर, यह गरीबों के अस्तित्व को औचित्यपूर्ण ठहरा रहे हैं क्योंकि अमीरों की सुख-सुविधाओं के लिए गरीबों का रहना जरुरी है, इस तरह से तो आप गरीबों के अस्तित्व को औचित्यपूर्ण ठहरा रहे हैं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please listen to him.

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ: I am listening to you. This is an insinuation.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. This is not the intention.

SHRI S. JAIPAL REDDY: Let me tell you that you are hell bent upon putting a perverse construction on a sentence of mine. You know that the construction is wrong. When you do it wilfully, I can't help it.

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: We are not doing anything wilfully. It is the impression of the hon. Minister, who is a learned friend of mine, a very esteemed friend. That is the impression we got. (*Interruptions*)

श्री उपसभापति: आप बोलिए, whatever you want to say, you say.

SHRI S. JAIPAL REDDY: I am really happy to note the transformation in Mr. Joshi's personality. He has suddenly become a champion of the poor.

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: I have always been. I have never transformed like you.

SHRI S. JAIPAL REDDY: I continue to be socialist. (*Interruptions*) May I also tell the House, Sir, that the MCD dismissed as many as 17 senior engineers by taking recourse to article 3(11) of the Constitution. It is one of the harshest measures ever taken in the history of India. It has been done in the last few weeks in Delhi. So, we are not going to spare those who were a privy to illegalities. We are also not unmindful of the need to develop Delhi into a world-class city. Mr. Manohar Joshi and Mr. V. Narayanasamy have both reminded us of the obligation to see that further encroachments do not take place. If you have read the Bill carefully, it would be evident that the exemption is not applied at all, either prospectively or retrospectively, to encroachments on public land, or to on-going illegal encroachments. Mr. Manohar Joshiji, with his vast experience in Mumbai, told us that we must take care of all other major cities. He knows fully well that urban development is an exclusive State subject. Even so, the UPA Government has launched a big scheme, known as Jawaharlal Nehru National Urban Development Mission, under which we will try to provide assistance to all the major cities.

As for the places of worship, I would like to make it clear that places of worship, particularly of ancient vintage, will be protected. I cannot refer to individual places. But, our policy is to see that we do not re-enact the tragedy that occurred in Vadodara.

Sir, I have tried to refer to as many points as possible. With these few observations, I once again thank all the members for their support to the Bill, and I seek their support with these observations.

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY: Sir, I have one clarification. I may be permitted. I did not speak on the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The Minister has already replied.

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY: Sir, the most essential part about which the hon. Minister has not spoken, is about the compensation or rehabilitation of those who have lost their houses and their livelihood. Whether any thinking is there on the part of the Government to help those people who have lost their houses by virtue of demolition.

SHRI S. JAIPAL REDDY: Without proper homework, I won't be able to make a comment. But, our public finance institutions, I am sure, will be more than willing to lend support to such affected persons.

श्रीमती सुषमा स्वराज: सर, मेरे दो सवाल अन-आंसर्ड रह गए हैं। मंत्री जी, मैंने आपसे दो प्रश्न पूछे थे और आप उस समय नोट भी कर रहे थे कि आप जवाब भी देंगे। लेकिन बाकी चीजों में आप उलझ गए और आपने मेरे दोनों सवाल छोड़ दिए। मैंने पूछा था कि जो चालीस हजार लोगों ने एफिडेविट दिए हैं उनका क्या होगा?

श्री उपसभापति: एफिडेविट का जवाब दे दिया है।

श्रीमती सुषमा स्वराज: और जिनकी दुकानों पर सीलिंग लग गई है, उसके बारे में क्या होगा?

श्री उपसभापति : उसका भी जवाब दे दिया है।

श्रीमती सुषमा स्वराज: मैंने नहीं सुना है, दोबारा बोल दें।

SHRI S. JAIPAL REDDY: Since the powers of misunderstanding of Smt. Sushma Swaraj are very high, I think, I need to repeat. All those who filed affidavits, are covered by the benefits to be conferred by this law. Their shops will remain open beyond June, irrespective of decrees of the courts. As for the shops which have been sealed, they will be de-sealed after this Bill becomes a law.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, the question is:

That the Delhi Laws (Special Provisions) Bill, 2006, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration.

The motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clauses 2 to 5 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula, the Preamble and the Title were added to the Bill.

SHRI S. JAIPAL REDDY: Sir, I beg to move:

That the Bill be passed.

The question was put and the motion was adopted.

DISCUSSION ON THE INCIDENT AT DODA DISTRICT OF JAMMU AND KASHMIR—Contd.

डा॰ मुरली मनोहर जोशी (उत्तर प्रदेश): उपसभापति जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने देर से ही सही, लेकिन इस बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की अनुमति दी है और मैं गृह मंत्री जी का भी आभारी हूं कि वह देर से ही सही इस सदन में पधारे और इस सदन के प्रति अपना सम्मान भाव व्यक्त किया, इसके लिए मैं उनका आभारी हूं। देर आयद दुरुस्त आयद।

उपसभापति जी, मैं बहुत दुखी और चिंताकुल हृदय से इस चर्चा को शुरू कर रहा हूं। मुझे क्षोभ भी है और सारे देश को इस प्रश्न पर बहुत क्षोभ हैं मैं समझ सकता हूं, मेरे सामने मेरे वरिष्ठ मित्र डा॰ कर्ण सिंह जी बैठे हैं, जो इस राज्य के किसी समय में महाराजा थे, राज्यपाल थे, सदर-ए-रियासत थे और आज भी यह क्षेत्र उनकी मातृभूमि है। मैं उनके दुख को भी समझ सकता हूं, मैं उनकी पीड़ा को भी समझ सकता हूं।

उपसभापति जी, मैं इस सवाल को किसी राजनैतिक पार्टी या पार्टी के बीच का सवाल नहीं मानता हूं, न ही मेरा उद्देश्य इस सवाल को किसी साम्प्रदायिक रूप में देखने का है। लेकिन अगर परिस्थितियों में कुछ ऐसी बात आती है, किसी एक समुदाय विशेष द्वारा किसी दूसरे समुदाय की हत्या की जाती है और उसमें हिन्दू और मुसलमान शब्द आता है, तो उसके साथ सम्प्रदाय को जोड़ना उचित नहीं है। यह राष्ट्र की सुरक्षा का सवाल है, यह राष्ट्र की सार्वभौमिकता का सवाल है, एकता और अखंडता का सवाल है और राष्ट्र के